तम्हीदे ईमान

(बाआयते कुरआन)





मुसन्निफ

आला हज़रत मुजद्दीदे ईस्लाम

ईमाम **अहमद रज़ा ख़ाँ** बरेलवी अलैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जुमा

जनाब मुहम्मद अहमद उर्फ मुहम्मद महताब अली

आला हज़रत ने इस किताव में कुरआनी आयात से यह सावित किया है कि मुनाफ़िक़ और मुरतद से दूर रहना कितना ज़रूरी है और मुरतदों को मक्रो फ़रेब व उनके जवाव को भी बड़े ही अच्छे अंदाज़ में वताया गया है।

तम्हीदे ईमान

बाआयाते क़ुरआन

मुसन्निफ़

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ

(रदि़यल्लाहु तआला अन्हु)



हिन्दी तर्जुमा

जनाब मुहम्मद अजमद

उर्फ़ मुहम्मद महताब अली

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

तम्हीदे ईमान

व आयाते क़ुर्आन

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता हैः

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

तर्जमा : "ऐ नबी! बेशक हमने तुम्हें भेजा गवाह और ख़ुशख़बरी देता और डर सुनाता ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो और सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बोलो।" (सूरह फ़तह, पारा 26, रूकू 9)

मुसलमानो! देखो दीने इस्लाम भेजने, क़ुरआन मजीद उतारने का मक़सूद (Aim) ही तुम्हारा मौला तबारक व तआ़ला तीन बातें बताता हैः

1. यह कि लोग अल्लाह व रसूल पर ईमान लायें।
2. यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम करें।
3. यह कि अल्लाह तबारक व तआ़ला की इबादत में रहें।

मुसलमान इन तीनों जलील (बड़ी) बातों की अनमोल (ख़ूबसूरत) तरतीब तो देखो सबसे पहले ईमान को फ़रमाया और सबसे पीछे अपनी इबादत को और बीच में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम (Respect) को इसलिये कि बग़ैर ईमान ताज़ीम कारामद नहीं.... बहुतेरे नसारा (ईसाई) है। कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम में तसनीफ़ें कर चुके (यानी किताबें लिख चुके, नातें लिख चुके), लेक्चर दे चुके मगर जबकि ईमान न लाये कुछ मुफ़ीद

(फ़ायदेमन्द) नहीं कि यह ज़ाहिरी ताज़ीम हुई दिल में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सच्ची अख़ज़मत (Respect) होती तो ज़रूर ईमान लाते फिर जब तक नबीए करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सच्ची ताज़ीम न हो उम्र भर इबादते इलाही में गुज़ारे सब बेकार व मरदूद हैं। बहुतेरे जोगी और राहिब दुनिया (जो दुनिया से किनारा करके एकान्त की ज़िन्दगी गुज़ारते हैं) को तर्क करके अपने तौर पर ज़िक्र व इबादते इलाही में उम्र काट देते हैं बल्कि उनमें बहुत से वह हैं कि "ला इलाहा इल्लल्लाह" का ज़िक्र सीखते हैं और ज़रबें लगाते हैं मगर यह कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम नहीं तो क्या फ़ायदा असलन क़ाबिले क़बूले बारगाहे इलाही नहीं यानी अल्लाह तआ़ला की बारगाह में ऐसी इबादत क़बूल नहीं होती। अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ऐसों ही को फ़रमाता है:

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

तर्जमा: "जो कुछ आमाल उन्होंने किए हमने सब बरबाद कर दिये।" (पारा 19, सूरह फ़ुरक़ान, रूकु 1)*

ऐसों ही को फ़रमाता है कि

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝

तर्जमा: "अमल करें मशक़्क़तें भरें और बदला क्या होगा यह कि भड़कती आग में पैठेंगे। (वल अयाज़ु बिल्लाहि तआ़ला)

(पारा 30, सूरह ग़ाशियह, रूकू 13)

मुसलमानो! कहो कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम मदारे ईमान व मदारे नजात व मदारे क़ुबूले आमाल हुई या नहीं (यानी ईमान नजात और आमाल का क़ुबूल होना हुज़ूर ही की ताज़ीम करने पर ठहरे हैं यानी ईमान सबसे अहम है मगर उनकी ताज़ीम न हो तो वह भी जाता रहेगा)... कहो हुई और ज़रूर हुई। मुसलमानो! अपने रब का एक और इरशाद ध्यान में रखो।

तुम्हारा रब अ़ज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ
مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

तर्जमाः ऐ नबी! तुम फ़रमा दो कि ऐ लोगो! अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवीयाँ तुम्हारा कुनबा, तुम्हारी कमाई के माल और वह सौदागरी जिसके नुक़सान का तुम्हें अन्देशा है और तुम्हारी पसन्द के मकान उनमें कोई चीज़ भी अगर तुम को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और उसकी राह में कोशिश करने से ज़्यादा महबूब है तो इन्तिज़ार रखो यहाँ तक अल्लाह अपना अ़ज़ाब अतारे और अल्लाह तआ़ला बे-हुक्मों को राह नहीं देता।'' (सूरह तौबा रूकू 9, पारा 10)

इस आयत से मालूम हुआ कि जिसे दुनिया जहान में कोई मुअज़्ज़म (Respected) कोई अज़ीज़ कोई माल कोई चीज़ अल्लाह व रसूल से ज़्यादा महबूब हो वह बारगाहे इलाही से मरदूद है। अल्लाह उसे अपनी तरफ़ राह नहीं देगा उसे अज़ाबे इलाही के इन्तिज़ार में रहना चाहिए यानी अगर कोई अल्लाह व रसूल से ज़्यादा किसी और चीज़ से मुहब्बत करता है तो उसे अज़ाब का मज़ा ज़रूर चखना है। वल अ़याज़ु बिल्लाहि तआ़ला।

तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین

तर्जमाः ''तुम में कोई मुसलमान न होगा जब तक मैं उसे उसके माँ

बाप, औलाद और सब आदमियों से ज़्यादा प्यारा न होऊँ।''
(सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम)

यह हदीस सहीह़ बुख़ारी व सहीह मुसलिम में अनस इब्ने मालिक अनसारी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी है इसमें तो यह बात साफ़ फ़रमा दी कि जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को अज़ीज़ रखे हरगिज़ मुसलमान नहीं। मुसलमानो! कहो मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को तमाम जहान से ज़्यादा महबूब रखना मदारे ईमान व मदारे नजात हुआ या नहीं? कहो हुआ और ज़रूर हुआ। यानी उन्हीं की मुहब्बत ईमान है और उसी से नजात हासिल होगी। यहाँ तक तो सारे कलिमागो ख़ुशी-ख़ुशी क़ुबुल कर लेगें कि हाँ हमारे दिल में मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की अज़ीम अज़्मत है। हाँ-हाँ माँ-बाप, औलाद सारे जहान से ज़्यादा हमें हुज़ूर की मुहब्बत है। भाईयो! ख़ुदा ऐसा ही करे मगर ज़रा कान लगाकर अपने रब का इर्शाद सुनो।

तुम्हारा रब अ़ज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता हैः

الٓمّٓ ۚ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ یُّتْرَكُوْۤا اَنْ یَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ ۝

तर्जमाः ''क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतना कह लेने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आज़माइश न होगी।''

(पारा 20, सूरह अनकबूत, रूकू, 13)

यह आयत मुसलमानों को होशियार कर रही है कि देखो कलिमागोई ज़ुबानी अदाए मुसलमानी पर तुम्हारा छुटकारा न होगा। हाँ हाँ सुनते हो। आज़माए जाओगे आज़माइश में पूरे निकले तो मुसलमान ठहरोगे। हर शय की आज़माइश में यही देखा जाता है कि जो बातें उसके हक़ीक़ी व वाक़ई होने को दरकार हैं वह उसमें हैं या नहीं? (यानी आज़माइश के वक़्त यह देखा जाता है कि सच्चे होने के लिए जो बातें होनी चाहिए वह हैं या नहीं) अभी क़ुरआन व हदीस इर्शाद फ़रमा चुके कि ईमान के

हक़ीक़ी व वाक़िई होने को दो बातें ज़ुरूर हैं। मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की मुहब्बत को तमाम जहान पर तक़दीम (Preference), तो इसकी आज़माइश का सही तरीक़ा यह है कि तुमको जिन लोगों से कैसी ही ताज़ीम, कितनी ही दोस्ती, कैसी ही मुहब्बत का अलाक़ा हो, जैसे तुम्हारे बाप, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे पीर, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अहबाब, तुम्हारे बड़े, तुम्हारे असहाब, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे हाफ़िज़, तुम्हारे मुफ़्ती, तुम्हारे वाइज़ वग़ैरह वग़ैरह कोई भी जब वह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी करें असलन तुम्हारे क़ल्ब (दिल) में उनकी अज़्मत, उनकी मुहब्बत का नाम-ओ-निशान न रहे फ़ौरन उनसे अलग हो जाओ उनको दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दो, उनकी सूरत उनके नाम से नफ़रत खाओ। फिर न तुम अपने रिश्ते, इलाक़े, दोस्ती उलफ़त का पास करो न उसकी मौलवियत, मशीख़ियत, बुज़ुर्गी, फ़ज़ीलत को ख़तरे मे लाओ, आख़िर यह जो कुछ था मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ग़ुलामी की बिना पर था। जब यह शख़्स उन्हीं की शान में गुस्ताख़ हुआ फिर हमें उससे क्या अलाक़ा रहा? उसके जुब्बे अमामे पर क्या जायें, क्या बहुतेरे यहूदी जुब्बे नहीं पहनते? अमामे नहीं बांधते? उसके नाम, इल्म व ज़ाहिरी फ़ज़ल को लेकर क्या करें? क्या बहुतेरे पादरी ब-कसरत फ़लसफ़ी (Scientist) बड़े-बड़े उलूम-ओ-फ़ुनून नहीं जानते और अगर यह नहीं बल्कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के मुक़ाबिल तुमने उसकी बात बनानी चाही उसने हुज़ूर से गुस्ताख़ी की और तुमने उससे दोस्ती बनानी चाही, निबाही या उसे हर बुरे से बदतर बुरा न जाना या उसे बुरा कहने पर बुरा माना या इसी क़द्र कि तुमने इस काम में बेपरवाही मनाई या तुम्हारे दिल में उसकी तरफ़ से सख़्त नफ़रत न आई तो लिल्लाह अब तुम्हीं इंसाफ़ कर लो कि तुम ईमान के इम्तिहान में कहाँ पास हुए? क़ुरआन व हदीस ने जिस पर

हुसूले ईमान का मदार रखा था उससे कितनी दूर निकल गए (यानी ईमान का हासिल होना जिसकी ताज़ीम पर ठहरा है तुम उससे कितनी दूर निकल गए) मुसलमानो! क्या जिसके दिल में मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम होगी वह उनके बदगो की वक़अत (Respect) कर सकेगा? अगरचे उसका पीर या उस्ताद या बाप ही क्यूँ न हो, क्या जिसे मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तमाम जहान से ज़्यादा प्यारे होंगे वह उनके गुस्ताख़ से फ़ौरन सख़्त शदीद नफ़रत न करेगा अगरचे उसका दोस्त या बिरादर या बेटा ही क्यूँ न हो? लिल्लाह! अपने हाल पर रहम करो। और अपने रब की बात सुनो, देखो वह क्यूँकर तुम्हें अपनी रहमत की तरफ़ बुलाता है देखोः

तुम्हारा रब अ़ज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता हैः

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ
مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ
اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ
الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا
عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

तर्जमाः ''तू न पाएगा उन्हें जो ईमान लाए हों अल्लाह और क़ियामत पर कि उनके दिल में ऐसों की मुहब्बत आने पाए जिन्होंने ख़ुदा और रसूल (मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) से मुख़ालिफ़त की चाहे वह उनके बाप या बेटे या भाई या अज़ीज़ ही क्यों न हों, यह हैं वह लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक़्श कर दिया और अपनी तरफ़ की रूह से उनकी मदद फ़रमाई और उन्हें बाग़ों मे ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा रहेंगे उनमें ... अल्लाह उनसे राज़ी और वह अल्लाह से राज़ी, यही लोग

अल्लाह वाले हैं। सुनता है, अल्लाह वाले ही मुराद को पहुँचे।''

(सूरह अल्-मुजादिला, पारा 28, रूकूअ़ 3)

इस आयते करीमा में साफ़ फ़रमा दिया कि जो अल्लाह या रसूल की जनाब में गुस्ताख़ी करे मुसलमान उससे दोस्ती न करेगा, जिसका सरीह यह मफ़ाद हुआ कि जो उनसे दोस्ती करे वह मुसलमान न होगा... फिर इस हुक्म का क़तअ़न आम होना तफ़सील के साथ इर्शाद फ़रमाया कि बाप, बेटे, भाई, अज़ीज़ सबको गिनाया यानी कोई कैसा ही तुम्हारे ख़्याल में मुअज़्ज़म (Respected) या कैसा ही तुम्हें दिल से महबूब हो ईमान है तो गुस्ताख़ी के बाद उससे मुहब्बत नहीं रख सकते उसकी वक़अत नहीं मान सकते, वरना मुसलमान न रहोगे। मौला सुब्हानहु तआ़ला का इतना फ़रमाना ही मुसलमान के लिए बस था मगर देखो वह तुम्हें अपनी रहमत की तरफ़ बुलाता है, अपनी अज़ीम नेअ़मतों का लालच दिलाता है कि अगर अल्लाह व रसूल की अज़मत के आगे तुमने किसी का पास न किया किसी से अलाक़ा न रखा तो तुम्हें क्या-क्या फ़ायदे होंगे।

(1) अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दिलों में ईमान नक़्श फ़रमा देगा जिसमें इन्शा अल्लाह हुस्ने ख़ातमा को बशारते जलीला (बहुत बड़ी खुशख़बरी) है कि अल्लाह का लिखा नहीं मिटता यानी इस आयत पर अमल करने वाले को यह बशारत दी जा रही है कि उसका ईमान सलामत रहेगा और ख़ातमा ईमान पर होगा क्योंकि अल्लाह का लिखा मिटा नहीं करता। और यह ऐसी नेअ़मत है जिस पर सब कुछ क़ुरबान।

(2) अल्लाह पाक रूहुल क़ुदुस (फ़रिशते) से तुम्हारी मदद फ़रमाएगा।

(3) तुम्हें हमेशगी की जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवाँ (जारी) हैं।

(4) तुम खुदा के गिरोह कहलाओगे खुदा वाले हो जाओगे।

(5) मुँह मांगी मुरादें पाओगे बल्कि उम्मीद व ख़्याल व गुमान से करोड़ों दर्जे अफ़ज़ल।

(6) सबसे ज़्यादा यह कि अल्लाह तुमसे राज़ी होगा।

(7) यह कि फ़रमाता है कि तुमसे राज़ी तुम मुझसे राज़ी। बन्दे के लिए इससे ज़्यादा और क्या नेअ्मत होगी कि उसका रब उससे राज़ी हो मगर इन्तिहाए बन्दा नवाज़ी यह कि फ़रमाया कि अल्लाह उनसे राज़ी और वह अल्लाह से राज़ी।

मुसलमानो! ख़ुदा लगती कहना अगर आदमी करोड़ों जाने रखता हो और वह सबकी सब इन अज़ीम दौलतों पर निसार कर दे तो वल्लाह कि मुफ़्त पायें फिर उसे तौहीन करने वाले शख़्स से अलाक़ा ताज़ीम व मुहब्बत यकलख़्त क़ता कर देना यानी उसे छोड़ देना कितनी बड़ी बात है जिस पर अल्लाह तआला इन बहुत ज़्यादा क़ीमती नेअमतों का वादा फ़रमा रहा है और उसका वादा यक़ीनन सच्चा है। क़ुरआन करीम की आदते करीमा है कि जो हुक्म फ़रमाता है जैसा कि उसके मानने वालों को अपनी नेअ्मतों की बशारत देता है न मानने वालों पर अपने अज़ाबों का ताज़ियाना (कोड़ा यानी सज़ा) भी रखता है कि जो पस्त हिम्मत नेअ्मतों के लालच में न आएं सज़ाओं के डर से राह पाएं। वह अ़ज़ाब भी सुन लीजिए।

तुम्हारा रब अ़ज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا
اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾

तर्जमाः "ऐ ईमान वालो! अपने बाप अपने भाईयों को दोस्त न बनाओ अगर वह ईमान पर कुफ़्र पसन्द करें और तुममे जो रिफ़ाक़त करें और वही लोग सितमगर हैं।" (सूरह तौबा, पारा 10, रूकूअ़ 9)

और फ़रमाता है:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ

اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا
جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ
اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ
سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ (الی قولہ تعالیٰ)
لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

तर्जमाः "ऐ ईमान वालो! मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ तुम छिपकर उनसे दोस्ती करते हो और तुममे जो ऐसा करेगा वह ज़रूर सीधी राह से बहका, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे बच्चे तुम्हें कुछ नफ़ा न देंगे। क़ियामत के दिन तुममें और तुम्हारे प्यारों में जुदाई डाल देगा कि तुममें एक दूसरे के कुछ काम न आ सकेगा और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है।

(सूरह मुमतहिनह, पारा 28, रूकूअ़ 7)

और फ़रमाता है

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

तर्जमाः जो तुममें उनसे दोस्ती करेगा तो बेशक वह उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह हिदायत नहीं करता ज़ालिमों की।"

(पारा 6, सूरह मायदा, रूकू 12)

पहली दो आयतों में तो उनसे दोस्ती करने वालों को ज़ालिम व गुमराह ही फ़रमाया था इस आयते करीमा ने बिल्कुल तस्फ़िया (फ़ैसला) फ़रमा दिया कि जो उनसे दोस्ती रखे वह भी उन्हीं में से है, उन्हीं की तरह काफ़िर है, उनके साथ एक रस्सी में बांधा जाएगा, और वह कोड़ा

भी याद रखें कि तुम छुप-छुपकर उनसे मेल रखते हो और तुम्हारे छुपे ज़ाहिर सबको ख़ूब जानता हूँ। अब वह रस्सी भी सुन लीजिए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम की शाने अक़्दस में गुस्ताख़ी करने वाले बांधें जाएंगे। वल अयाज़ुबिल्लाहि तआ़ाला।

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है:

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

तर्जमा: ''वह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है।

(पारा 10, रुकूअ़ 14, सूरह तौबा)

और फ़रमाता है:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ
فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا

तर्जमा: ''बेशक जो अल्लाह व रसूल (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम) को ईज़ा देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया व आख़िरत में और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अ़ज़ाब तैयार कर रखा है।''

(सूरह अहज़ाब, पारा 22, रुकूअ 4)

अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ईज़ा (तकलीफ़) से पाक है उसे कौन ईज़ा दे सकता है मगर उसने अपने हबीब मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी को अपनी ईज़ा फ़रमाया। इन आयतों से उस शख़्स पर जो मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम के गुस्ताख़ों से मुहब्बत का बर्ताव करें, सात कोड़े साबित हुए:

1. वह ज़ालिम है।
2. गुमराह है,
3. काफ़िर है,
4. उसके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है।
5. वह आख़िरत में ज़लील ओ ख़्वार होगा।

6. उसने अल्लाह वाहिद क़ह्हार को ईज़ा (तकलीफ़) दी।
7. उस पर दोनों जहान में ख़ुदा की लानत है वल अयाज़ुबिल्लाहि तआ़ला।

ऐ मुसलमान! ऐ मुसलमान! ऐ उम्मते सय्यदुल इन्स वल जिन्न! (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ख़ुदारा ज़रा इन्साफ़ कर, वह सात बेहतर हैं जो उन लोगों से यकलख़्त अलाक़ा कर देने पर मिलते हैं (यानी अल्लाह व रसूल के दुश्मन से सम्बन्ध विच्छेद पर मिलते हैं) कि **दिल में ईमान जम जाए, अल्लाह मददगार हो, जन्नत मुक़ाम हो, अल्लाह वालों में शुमार हो, मुरादें मिलें, ख़ुदा तुझसे राज़ी हो, तू ख़ुदा से राज़ी हो** या यह सात कोड़े भले हैं जो इन लोगों से तअल्लुक़ लगा रहने पर पड़ेंगे कि **ज़ालिम, गुमराह, काफ़िर, जहन्नमी हो, आख़िरत में ख़्वार हो, ख़ुदा को ईज़ा दे, ख़ुदा दोनों जहान में लानत करे**। कौन कह सकता है कि यह सात अच्छे हैं, कौन कह सकता है कि वह सात छोड़ने के है मगर जाने बिरादर ख़ाली यह कह देना तो काम नहीं देता वहाँ तो इम्तिहान की ठहरी है, अभी आयत सुन चुके क्या इस भुलावे में हो कि बस ज़ुबान से कहकर छूट जाओगे इम्तिहान न होगा?

हाँ यही इम्तिहान है

देखो यह अल्लाह वाहिद क़ह्हार की तरफ़ से तुम्हारी जाँच है... देखो वह फ़रमा रहा है कि रिश्ते अलाक़े क़ियामत में काम न आएंगे मुझ से तोड़कर किससे जोड़ते हो.. देखो वह फ़रमा रहा है कि मैं ग़ाफ़िल नहीं, मैं बेख़बर नहीं, तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ, तुम्हारे अक़वाल सुन रहा हूँ, तुम्हारे दिलों की हालत से ख़बरदार हूँ.... देखो बेपरवाही न करो, पराए पीछे अपनी आ़क़िबत (आख़िरत) न बिगाड़ो, अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के मुक़ाबिल ज़िद से काम न लो... देखो वह तुम्हें अपने सख़्त अ़ज़ाब से डराता है, उसके अ़ज़ाब से कहीं पनाह नहीं... देखो वह तुम्हें अपनी रहमत की तरफ़ बुलाता है, बे उसकी रहमत से कहीं निबाह नहीं.... देखो और गुनाह तो निरे गुनाह होते हैं, जिन पर

अज़ाब का हक़दार हो जाता है मगर ईमान नहीं जाता, अज़ाब होकर ख़्वाह रब की रहमत हबीब की शफ़ाअत से बेअज़ाब ही छुटकारा हो जाएगा, या हो सकता है मगर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम का मुक़ाम है, उनकी अज़मत उनकी मुहब्बत मदारे ईमान है, क़ुरआन मजीद की आयत सुन चुके कि जो इस मुआ़मले में कमी करे उस पर दोनों जहान में ख़ुदा की लानत है... देखो जब ईमान गया फिर अबदुलआबाद (यानी हमेशा के लिए) तक कभी किसी तरह हरगिज़ अज़ाबे शदीद (सख़्त अज़ाब) से रिहाई नहीं होगी। गुस्ताख़ी करने वाले जिनका तुम यहाँ कुछ पास लिहाज़ करो वहाँ अपनी भुगत रहे होंगे, तुम्हें बचाने न आएंगे और आयें तो क्या कर सकते हैं, फिर ऐसों का लिहाज़ करके अपनी जान को हमेशा-हमेशा ग़ज़बे जब्बार व अज़ाबे नार (दोज़ख़) में फंसा देना क्या अक़्ल की बात है..... लिल्लाह-लिल्लाह ज़रा देर को अल्लाह व रसूल के सिवा सबसे नज़र उठाकर आँखें बन्द करो और गर्दन झुकाकर अपने आपको अल्लाह वाहिद क़ह्हार के सामने हाज़िर समझो और निरे ख़ालिस सच्चे इस्लामी दिल के साथ मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की अज़ीम अज़मत बुलन्द इज़्ज़त रफ़ीअ़ वजाहत जो उनके रब ने उन्हें बख़्शी और उनकी ताज़ीम उनकी तौक़ीर पर ईमान व इस्लाम की बुनियाद रखी उसे दिल में जमा कर इन्साफ़ व ईमान से कहो क्या जिसने कहा कि **शैतान की वुसअत नस्स से साबित हुई फ़ख़्रे आलम की वुसअते इल्म की कौन सी नस्स क़तई है** उसने मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी न की? क्या उसने इबलीस लईन के इल्म को रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के इल्मे अक़दस पर न बढ़ाया? क्या वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की वुसअते इल्म से काफ़िर होकर शैतान की वुसअते इल्म पर ईमान न लाया? मुसलमानो! ख़ुद उसी बदगो से इतना कह देखो कि ओ इल्म में शैतान के हमसर (बराबर), देखो तो वह बुरा मानता है या नहीं हालांकि उसे तो इल्म में शैतान से कम भी न कहा बल्कि शैतान के बराबर ही बताया फिर कम

कहना क्या तौहीन न होगी और अगर वह अपनी बात पालने को इस पर नागवारी ज़ाहिर न करे अगरचे दिल में क़तअन नागवार मानेगा तो उसे छोड़िए और किसी मुअज़्ज़म (इज़्ज़तदार शख़्स) से कह देखिए और पूरा ही इम्तिहान मक़सूद हो तो क्या कचहरी में जाकर अपने किसी हाकिम को इन्हीं लफ़्ज़ों से ताबीर कर सकते हैं। देखिए अभी-अभी खुला जाता है कि तौहीन हुई और बेशक हुई फिर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तौहीन करना कुफ़्र नहीं, ज़रूर है और बिल-यक़ीन है। क्या **जिसने शैतान की वुसअते इल्म को नस्स से साबित मानकर हुज़ूरे अक़दस मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिए वुसअते इल्म मानने वाले को कहा तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है और कहा शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है** उसने इबलीस लईन को खुदा का शरीक माना या नहीं। ज़रूर माना कि जो बात मख़लूक़ में एक के लिए साबित करना शिर्क होगी वह कसी के लिए साबित की जाए क़तअन शिर्क ही रहेगी कि ख़ुदा का शरीक कोई नहीं हो सकता, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिए यह वुसअते इल्म माननी शिर्क ठहराई जिसमें कोई हिस्सा ईमान का नहीं जो ज़रूर इतनी वुसअत खुदा की वह ख़ास सिफ़त हुई जिसको खुदाई लाज़िम है जब तो नबी के लिए उसका मानने वाला काफ़िर मुशरिक हुआ और उसने वही वुसअत वही सिफ़त खुद अपने मुँह इबलीस के लिए साबित मानी तो साफ़-साफ़ शैतान को ख़ुदा का शरीक ठहरा दिया। मुसलमानो! क्या यह अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम दोनों की तौहीन न हुई? ज़रूर हुई अल्लाह की तौहीन तो ज़ाहिर है कि उसका शरीक बनाना वह भी किसे? इबलीस लईन को.... और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तौहीन यूँ कि इबलीस का मरतबा इतना बढ़ा दिया कि वह ख़ुदा की ख़ास सिफ़त में हिस्सेदार है और यह उससे ऐसे महरूम कि उनके लिए साबित मानो तो मुश्रिक हो जाओ। मुसलमानो! क्या ख़ुदा व रसूल की तौहीन करने वाला काफ़िर नहीं? ज़रूर है क्या जिसने कहा कि **बाज़**

उलूम ग़ैबिया मुराद हैं तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की क्या तख़सीस है ऐसा इल्मे ग़ैब ज़ैद व उमर बल्कि हर सबी व मजनून बल्कि जमीअ़ हैवानात व बहाएम के लिए भी हासिल है क्या उसने मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को सरीह गाली न दी। क्या नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को इतना ही इल्मे ग़ैब दिया गया था जितना हर पागल और हर चौपाए को हासिल है।

मुसलमान! मुसलमान! ऐ मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के उम्मती तुझे अपने दीन व ईमान का वास्ता क्या इस नापाक मलऊन गाली के सरीह गाली होने में तुझे कुछ शुबा गुज़र सकता है? मआज़ अल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की अज़मत तेरे दिल से ऐसी निकल गई है कि शदीद गाली में भी उनकी तौहीन न जाने और अगर अब भी तुझे ऐतबार न आए तो ख़ुद उन्हीं गुस्ताख़ों से पूछ देख कि तुम्हें और तुम्हारे उस्तादों और पीरों को कह सकते हैं कि ऐ फ़लाँ तुझे इतना ही इल्म है जितना सूअर को है, तेरे उस्ताद को ऐसा ही इल्म था जैसा कुत्ते को है, तेरे पीर को इसी क़द्र इल्म था जिस क़द्र गधे को है, या मुख़्तसर तौर पर इतना ही हो कि ओ इल्म में उल्लू, गधे, कुत्ते, सुअर के हमसरो (बराबर) लो देखो तो उसमें अपने उस्ताद व पीर की तौहीन समझते हैं या नहीं? क़तअन समझेंगे और क़ाबू पायें तो सर हो जायें फिर क्या सबब है कि जो कलिमा उनके हक़ में तौहीन है मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तौहीन न हो। क्या मआज़ अल्लाह उनकी अज़मत उनसे भी गई गुज़री है? क्या इसी का नाम ईमान है? हाशा लिल्लाह! हाशा लिल्लाह। क्या जिसने कहा क्यूँ कि हर शख़्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख़्स से मख़्फ़ी (छुपी हुई) है तो चाहिए कि सबको आलिमुल ग़ैब (ग़ैब का जानने वाला) कहा जाए फिर अगर ज़ैद इसका इलतेज़ाम (लाज़िम पकड़ना यानी ज़रूरी मानना) कर लें कि हाँ मैं सबको आलिमुल-ग़ैब कहूँगा तो फिर इल्मे ग़ैब को मिन्जुमला कमालाते नबविया शुमार क्यूँ किया जाता है। जिस अम्र में मोमिन बल्कि इन्सान की भी

ख़ुसूसियत न हो वह कमालाते नुबुव्वत से कब हो सकता है? और अगर इलतेज़ाम न किया जाऐ तो नबी और ग़ैरे नबी में वजहे फ़र्क़ बयान करना ज़रूर है। इन्तेहा! क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम और जानवरों, पागलों में फ़र्क़ न जानने वाला हुज़ूर को गाली नहीं देता, क्या उसने अल्लाह (अज़्ज़ावजल्ला) के कलाम का साफ़ साफ़ रद्द न किया और झूठा न बताया। देखो।

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता हैः

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝

तर्जमाः "ऐ नबी! अल्लाह ने तुमको सिखाया जो तुम न जानते थे और अल्लाह का फ़ज़्ल तुम पर बड़ा है।"

(सूरह निसा, पारा 5, रूकूअ़ 14)

यहाँ ना-मालूम बातों का इल्म अता फ़रमाने को अल्लाह (अज़्ज़ा-वजल्ला) ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम के कमालात-व-मदाएह में शुमार फ़रमाया। (यानी वह बातें जो हुज़ूर नहीं जानते थे अल्लाह पाक ने उन्हें सिखाई और इस सिखाने को अपना फ़ज़्ल बताया और यह बात हुज़ूर की तारीफ़ है और कमालात से है)

और फ़रमाता हैः

وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ

तर्जमाः "बेशक याक़ूब हमारे सिखाए से इल्म वाला है।"

(पारा 13, रूकू, 2, सूरह यूसुफ़)

और फ़रमाता हैः

وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝

तर्जमाः "मलाएका ने इब्राहीम को एक इल्म वाले लड़के इसहाक़ की वशारत दी।" (पारा 26, रूकू 19, सूरह ज़ारयात)

और फ़रमाता है

وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

तर्जमाः "हमने ख़िज़्र को अपने पास से एक इल्म सिखाया।"

(पारा 16, रूकू 19, सूरए ज़ारियात)

इन सारी आयात में अल्लाह तआला ने इल्म को कमालाते अम्बिया गिना। अब ज़ैद की जगह अल्लाह (अज़्ज़ावजल्ला) का नामे पाक लीजिए और इल्मे ग़ैब की जगह मुतलक़े-इल्म जिसका हर चौपाए को मिलना और भी ज़ाहिर है और देखिए कि इस बदगो-ए-मुस्तफ़ा (मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम को बुरा कहने वाला) की तक़रीर किस तरह अल्लाह के कलाम यानी क़ुरआन का रद्द कर रही है यानी वह बदगो (बुरा कहने वाला) ख़ुदा के मुक़ाबिल खड़ा होकर कह रहा है "कि आप (यानी नबी) और दीगर अम्बिया की ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म का इतलाक़ (साबित करना) किया जाना अगर बक़ौले ख़ुदा सही हो तो दरयाफ़्त तलब अम्र (बात, काम) यह है कि इस इल्म से मुराद बाज़ (थोड़ा) इल्म है या कुल उलूम अगर बाज़ उलूम मुराद हैं तो इसमें हुज़ूर और दीगर अम्बिया की क्या तख़सीस है ऐसा इल्म तो ज़ैद व उमरे बल्कि हर सबी (बच्चा) व मजनून (पागल) बल्कि जमीअ़ हैवानात बहाएम (चौपाए) के लिए भी हासिल है क्यूँकि हर शख़्स को किसी न किसी बात का इल्म होता है तो चाहिए कि सबको आलिम कहा जाए फिर अगर ख़ुदा इसका इलतेज़ाम कर ले कि हाँ मैं सबको आलिम कहूँगा तो फिर इस इल्म को मिन्जुमला कमालाते नबवीया शुमार क्यूँ किया जाता है जिस अम्र में मोमिन बल्कि इन्सान की भी ख़ुसूसियत न हो वह कमालाते नुबुव्वत से कब हो सकता है और अगर इलतेज़ाम न किया जाए तो नबी

और ग़ैर नबी में वज़ह फ़र्क बयान करना लाज़िम है और अगर तमाम उलूम मुराद हैं इस तरह कि उसका एक फ़र्द भी ख़ारिज न रहे तो उसका बुतलान (झूठा होना) दलीले नक़ली व अक़ली से साबित है।'' इन्तेहा।

पस साबित हुआ कि ख़ुदा के वह सब अक़वाल उसकी इसी दलील से बातिल हैं। मुसलमानो! देखो कि इस बदगो ने फ़क़त मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ही को गाली नहीं दी बल्कि उनके रब जल्ला व अला के कलामों को भी बातिल और मरदूद कर दिया।

मुसलमानो! जिसकी जुरअत यहाँ तक पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के इल्मे ग़ैब को पागलों और जानवरों के इल्म से मिला दे और ईमान व इस्लाम व इन्सानियत सबसे आँखें बन्द करके साफ़ कह दे कि नबी और जानवर में क्या फ़र्क़ है उससे क्या तअज्जुब कि ख़ुदा के कलाम को रद्द कर दे, बातिल (झूठा) बताए, पसे पुश्त डाले (पीठ पीछे डालना), ज़ेरे पा मले (पैरों तले रौंदना) बल्कि जो यह सब कुछ कलामुल्लाह के साथ कर चुका वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ उस गाली पर जुरअत कर सकेगा मगर हाँ उससे दरयाफ़्त करो कि आपकी यह तक़रीर ख़ुद आप और आपके असातिज़ह (गुरूओं) में जारी है या नहीं? अगर नहीं तो क्यूँ? और अगर है तो क्या जवाब? हाँ इन बदगोयों से कहो! क्या आप हज़रात अपनी तक़रीर के तौर पर जो आपने मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की शान में जारी ख़ुद अपने आप से उस दरयाफ़्त की इजाज़त दे सकते हैं कि आप साहेबों को आलिम फ़ाज़िल मौलवी मुल्ला चुनीं चुनाँ, फ़लाँ फ़लाँ क्यूँ कहा जाता है और हैवानात व बहाएम मसलन कुत्ते, सुअर को कोई इन अलफ़ाज़ से ताबीर नहीं करता। इन मन्सबों के बाइस आप के अतबा (ताबेदार लोग) व अज़नाब (मामूली पैरवी करने वाले) आपकी ताज़ीमो तकरीम व तौक़ीर क्यों करते दस्त-व-पा पर बोसा क्यूँ देते हैं और जानवरों मसलन उल्लू, गधे के साथ कोई यह बर्ताव क्यूँ नहीं बरतता? इसकी वजह क्या है? कुल इल्म तो क़तअन आप साहेबों को भी नहीं, और बाज़ में आपकी क्या तख़सीस? ऐसा इल्म तो उल्लू,

गधे, कुत्ते, सुअर सबको हासिल है तो चाहिए कि उन सबको आलिम व फ़ाज़िल व चुनीं व चुनाँ कहा जाए। फिर अगर आप इसका इलतेज़ाम करें कि हाँ हम सबको उलमा कहेंगे तो फिर इल्म को आपके कमालात में क्यूँ शुमार किया जाता है जिस अम्र में मोमिन बल्कि इन्सान की भी खुसूसियत न हो गधे, कुत्ते, सुअर सबको हासिल हो वह आपके कमालात से क्यूँ हुआ? और अगर इलतेज़ाम न किया जाये तो आप ही के बयान से आप में और गधे, कुत्ते, सुअर में वज़ह फ़र्क़ बयान करना ज़रूर है। फ़क़त।

मुसलमानो! यूँ दरयाफ़्त करते ही बिऔनिही तआला साफ़ खुल जायेगा कि इन बदगोयों ने मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम को कैसी सरीह, शदीद गाली दी और उनके रब (अज़्ज़ावजल्ला) के क़ुरआन मजीद को जा-ब-जा कैसा रद्द व बातिल कर दिया। मुसलमानो! ख़ास उस बदगो और उसके साथियों से पूछो उन पर खुद उनके इक़रार से क़ुरआने अज़ीम की यह आयात चसपाँ हुई या नहीं।

आला हज़रत यह फ़रमा रहे हैं कि यही इबारत जिसके ज़रिए इन्होंने हुज़ूर की तौहीन की अगर इनके ऊपर लागू की जाए तो इन्हें तौहीन क्यूँ नज़र आती है और हुज़ूर के लिए तौहीन नज़र नही आती... यह अगर यही बात किसी हाकिम या दरोग़ा से यह कहकर देखें और उसके इल्म को जानवरों और बच्चों जैसा बतायें तो फिर वह क्यूँ इनकी डंडे से ख़बर लेता है यानी वह अलफ़ाज़ तौहीन हैं।

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता हैः

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ ۝

तर्जमाः "और बेशक ज़रूर हमने जहन्नम के लिए फैला रखे हैं बहुत से जिन और आदमी। उनके वह दिल हैं जिनसे हक़ को नहीं समझते और वह आँखें जिनसे हक़ का रास्ता नहीं सूझते और वह कान जिनसे हक़ बात नहीं सुनते वह चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी बढ़कर बहके हुए वही लोग ग़फ़लत में पड़े हैं।"

(पारा 9, सूरह अअराफ़, रूकूअ़ 12)

और फ़रमाता हैः

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

तर्जमाः भला देख तू! जिसने अपनी ख़्वाहिश को अपना ख़ुदा बना लिया तो क्या तू उसका ज़िम्मा लेगा या तुझे गुमान है के उनमें बहुत से कुछ सुनते या अक़्ल रखते हैं वह तो नहीं मगर जैसे चौपाए, बल्कि वह तो उनसे भी बढ़कर गुमराह हैं।"

(पारा 19, सूरह फ़ुरक़ान, रूकूअ़ 2)

इन बदगोयों ने चौपायों का इल्म तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के इल्म के बराबर माना। अब इनसे पूछिए क्या तुम्हारा इल्म अम्बिया या ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के बराबर है? ज़ाहिरन उसका दावा न करेंगे और अगर कह भी दें कि जब चौपायों से बराबरी कर दी आप तो दोपाए हैं बराबरी मानते क्या मुश्किल है, तो यह पूछिये तुम्हारे उस्तादों, पीरों, मुल्तानों में कोई भी ऐसा गुज़रा जो तुम से इल्म में ज़्यादा हो या, सब बराबर हों? आख़िर कहीं तो फ़र्क़ निकलेंगे तो उनके वह उस्ताद वग़ैरह तो उनके इक़रार से इल्म में चौपायों के बराबर हुए और ये उनसे इल्म में कम हैं, जब तो उनकी शागिर्दी की और जो एक मसावी (बराबर) से कम हो दूसरे से भी ज़रूर कम होगा तो यह हज़रात ख़ुद

अपनी तक़ारीर की रू से चौपायों से बढ़कर गुमराह हुए और उन आयतों के मिसदाक़ ठहरे यानी यह आयत उन पर फ़िट बैठती है:

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۖ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

तर्जमाः "ऐसे ही अ़ज़ाब और आख़िरत का अ़ज़ाब बड़ा है अगर लोग जानते।" (पारा 29, रूकूअ़ 3)

मुसलमानो! ये हालतें तो उन कलिमात की थीं जिनमें अम्बिया-ए-किराम व हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल-अनाम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर हाथ साफ़ किए गए। फिन उन इबारात का क्या पूछना जिनमें इसालतन-बिल-क़स्द (इरादा करते हुए यानी जान बूझकर) रब्बुल-इ़ज़्ज़त की इ़ज़्ज़त पर हमला किया गया हो। ख़ुदारा इन्साफ़! क्या जिसने कहा कि मैंने कब कहा है कि मैं वक़ूए-किज़्बे बारी का क़ाइल नहीं हूँ यानी वह शख़्स इसका क़ाइल है कि ख़ुदा बिल-फ़ेल झूठा है, झूठ बोला, झूठ बोलता है। इसकी निसबत यह फ़तवा देने वाला कि अगरचे उसने तावीले आयात में ख़ता की मगर ताहम उसको काफ़िर या बिदअती दाल (गुमराह) कहना नहीं चाहिए। जिसने कहा कि उसमें तकफ़ीर उलमाए-सलफ़ (बुज़ुर्ग) की लाज़िम आती है। हनफ़ी, शाफ़िई पर तअन व तज़लील नहीं कर सकता, यानी ख़ुदा को झूठा कहना बहुत से उलमाए सलफ़ का भी मज़हब था। यह इख़तिलाफ़ हनफ़ी, शाफ़िई का सा है। किसी ने हाथ नाफ़ से ऊपर बांधे, किसी ने नीचे, ऐसा ही इसे भी समझो कि किसी ने ख़ुदा को सच्चा कहा, किसी ने झूठा, लिहाज़ा ऐसे को तदलील-व-तफ़सीक़ (गुमराह व फ़ासिक़ क़रार देना) से मामून करना चाहिए यानी जो ख़ुदा को झूठा कहे उसे गुमराह क्या माना गुनहगार भी न कहो। क्या जिसने यह सब तो उस मुकज़्ज़िबे ख़ुदा (ख़ुदा को झूठा बताने वाला) की निसबत बताया और यही ख़ुद अपनी तरफ़ से बा-वस्फ़ इस बे-माअ़ना इक़रार के कि **क़ुदरत अलल-किज़्ब मा-इमतिना इल वुक़ूए इत्तेफ़ाक़िया है** साफ़ सरीह कह दिया कि वक़ू-ए-किज़्ब के माना दुरुस्त हो गये यानी यह बात ठीक हो गई कि ख़ुदा से किज़्ब (झूठ) वाक़े हुआ।

क्या वह शख़्स मुसलमान रह सकता है? क्या जो ऐसे को मुसलमान समझे खुद मुसलमान हो सकता है?

मुसलमानो! ख़ुदारा इन्साफ़, ईमान नाम काहे को था तसदीक़े ईलाही का, तसदीक़ का सरीह मुख़ालिफ़ (विरुद्ध, विलोम) क्या है, तकज़ीब (झूठ), तकज़ीब के क्या माना हैं किसी की तरफ़ किज़्ब (झूठ) मन्सूब करना जब सराहतन खुदा को काज़िब (झूठा) कह कर भी ईमान बाक़ी रहे तो खुदा जाने ईमान किस जानवर का नाम है? खुदा जाने मजूस व हुनूद व नसारा व यहूद क्यूँ काफ़िर हुए? इनमें तो कोई साफ़-साफ़ अपने माबूद को झूठा भी नहीं बताता। हाँ माबूदे बरहक़ की बातों को यूँ नहीं मानते कि वो उसकी बातें ही नहीं जानते या तसलीम नहीं करते ऐसा तो दुनिया के परदे पर कोई काफ़िर सा काफ़िर भी शायद न निकले कि खुदा को खुदा मानता, उसके कलाम को उसका कलाम जानता और फिर बे धड़क कहता हो कि उसने झूठ कहा, उससे वुक़ू-ए-किज़्ब के माना दुरुस्त हो गए।

ग़र्ज़ कोई ज़ी इन्साफ़ (इन्साफ़ करने वाला) शक नहीं कर सकता कि इन तमाम बदगोयों (बुरा कहने वाले लोग) ने मुँह भर कर अल्लाह व रसूल को गालियाँ दीं हैं, अब यही वक़्त इम्तिहाने इलाही है, वाहिदे क़ह्हार जब्बार अज़्ज़ावजल्ला से डरो और वह आयतें कि ऊपर गुज़रीं, पेशे नज़र रख कर अमल करो। अब तुम्हारा ईमान तुम्हारे दिलों में तमाम बदगोयों से नफ़रत भर देगा, हरगिज़ अल्लाह व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम के मुक़ाबिल तुम्हें उन की हिमायत न करने देगा। तुमको उन से घिन आएगी न कि उनकी पच करो, अल्लाह व रसूल के मुक़ाबिल उनकी गालियों मे मुहमल (बेमअना, बेकार) व बेहूदा तावील (झूठा बहाना), गढ़ो, लिल्लाह इन्साफ़। अगर कोई शख़्स तुम्हारे माँ, बाप, उस्ताद पीर को गालियाँ दे और न सिर्फ़ ज़ुबानी बल्कि लिख लिखकर छापे, शाए करे क्या तुम उसका साथ दोगे या उसकी बात बनाने की तावीलें गढ़ोगे या उसके बकने से बे-परवाही करके उससे बदसतूर साफ़ रहोगे? नहीं, नहीं! अगर तुममें इन्सानी ग़ैरत, इन्सानी हमीय्यत (जोश) माँ बाप की इज़्ज़त, हुरमत, अज़मत मुहब्बत का नामो-निशान भी

लगा रह गया है तो उस बदगो दुशनामी (गाली देने वाला) की सूरत से नफ़रत करोगे, उसके साए से दूर भागोगे उसका नाम सुनकर ग़ैज़ (ग़ुस्सा) लाओगे जो उसके लिए बनावटें गढ़े, उसके भी दुश्मन हो जाओगे, फिर ख़ुदा के लिए माँ बाप को एक पल्ले में रखो और अल्लाह वाहिदे क़ह्हार व मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की इ़ज़्ज़त व अज़मत पर ईमान को दूसरे पल्ले में, अगर मुसलमान हो तो माँ-बाप की इ़ज़्ज़त को अल्लाह व रसूल की इ़ज़्ज़त से कुछ निस्बत न मानोगे। माँ-बाप की मुहब्बत हिमायत को अल्लाह व रसूल की मुहब्बत व ख़िदमत के आगे नाचीज़ जानोगे तो वाजिब वाजिब वाजिब लाख लाख वाजिब से बढ़कर वाजिब कि उनके बदगो से वह नफ़रत व दूरी व ग़ैज़ व जुदाई हो कि माँ-बाप के दुशनाम दहिनदह (गाली देने वाला) के साथ उसका हज़ारवाँ हिस्सा न हो। ये हैं वो लोग जिन के लिए उन सात नेअ़मतों की बशारत है। मुसलमानो! तुम्हारा यह ज़लील ख़ैरख़्वाह उम्मीद करता है कि अल्लाह वाहिदे क़ह्हार की उन आयात और उस बयान शाफ़ी वाज़ेहुल बय्यिनात यानी साफ़ साफ़ दलीलों के बाद उस बारे में आप से ज़्यादा अर्ज़ की हाजत न हो तुम्हारे ईमान ख़ुद ही उन बदगोयों से वही पाक मुबारक अलफ़ाज़ बोल उठेंगे जो तुम्हारे रब (अज़्ज़ावजल्ला) ने क़ुरआने अज़ीम में तुम्हारे सिखाने को क़ौमे इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से नक़ल फ़रमाए।

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता हैः

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ فِیْٓ اِبْرٰهِیْمَ وَالَّذِیْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا
لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمُ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰی تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗۤ
(الی قوله تعالی) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

तर्जमाः ''बेशक तुम्हारे लिए इब्राहीम और उसके साथ वाले मुसलमानों से अच्छी रेस (दौड़) है जब वह अपनी क़ौम से बोले बेशक हम तुम से बेज़ार हैं और उन सबसे जिनको तुम ख़ुदा के सिवा पूजते हो। हम तुम्हारे मुनकिर हुए और हम में और तुम में दुश्मनी और अदावत हमेशा को ज़ाहिर हो गई जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ बेशक ज़रूर उनमें तुम्हारे लिए उमदा रेस थी उसके लिए जो अल्लाह और क़ियामत की उम्मीद रखता हो, और जो मुँह फेरे तो बेशक अल्लाह ही बे-नियाज़ सराहा गया है।''

(सूरह मुम्तहेना, पारा 28, रूकूअ 7)

यानी वह जो तुमसे यह फ़रमा रहा है कि जिस तरह मेरे ख़लील और उनके साथ वालों ने किया कि मेरे लिए अपनी क़ौम के साफ़ दुश्मन हो गए और तिनका तोड़कर उनसे जुदाई कर ली और खुल कर कह दिया कि हम से तुम से कुछ अलाक़ा नहीं, हम तुम से क़तई बेज़ार हैं, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। ये तुम्हारे भले को तुम से फ़रमा रहे हैं, मानो तो तुम्हारी ख़ैर है न मानो तो अल्लाह को तुम्हारी कुछ परवाह नहीं जहाँ वह मेरे दुश्मन हुए उनके साथ तुम भी सही, मैं तमाम जहान से ग़नी हूँ और तमाम ख़ूबियों से मौसूफ़

यह तो क़ुरआने अज़ीम के अहकाम थेः

अल्लाह तआला जिससे भलाई चाहेगा इन पर अमल की तौफ़ीक़ देगा मगर यही दो फ़िरक़े हैं जिनको इन अहकाम में उज़्र पेश आते हैं।

फ़िरक़ए अव्वल

फ़िरक़ए अव्वल में बे-इल्म, नादान, इनके उज़्र दो क़िस्म के हैं। उज़्रे अव्वल फ़लाँ तो हमारा उस्ताद या बुज़ुर्ग या दोस्त है, लिहाज़ा हम उससे

दूर कैसे रहें या नफ़रत कैसे रखें।

इसका जवाब तो क़ुरआने अज़ीम की मुतअद्दिद (बहुत सी) आयात से सुन चुके कि रब (अज़्ज़ावजल्ला) ने बार-बार ब-तकरार सराहतन फ़रमा दिया कि ग़ज़बे इलाही से बचना चाहते हो तो इस बाब में (यानी इस मामले में) अपने बाप की भी रिआयत न करो।

उज़्रे दोम यह है कि अरे साहब! ये बदगो लोग भी तो मौलवी हैं, भला मौलवियों को क्यों कर काफ़िर समझें या बुरा जानें। **इसका जवाबः**

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता हैः

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ
وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ
غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

तर्जमाः "भला देख तो जिसने अपनी ख़्वाहिश को अपना ख़ुदा बना लिया और अल्लाह ने इल्म होते हुए उसे गुमराह किया और उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी और उसकी आँख पर पट्टी चढ़ा दी तो कौन उसे राह पर लाए अल्लाह के बाद, तो क्या तुम ध्यान नहीं करते?" (सूरह जासिया, रूकूअ़ 19)

और फ़रमाता हैः

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ
يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

तर्जमाः "वह जिन पर तौरेत का बोझ रखा गया फिर उन्होंने उसे न उठाया उन का हाल उस गधे का सा है जिस पर किताबें लदी हों, क्या बुरी मिसाल है उनकी जिन्होंने ख़ुदा की आयतें झुठलायीं और

अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं करता।''

(सूरह जुमअ़, पारा 28, रूकूअ़ 11)

और फ़रमाता है:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِیْۤ اٰتَیْنٰهُ
اٰیٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّیْطٰنُ فَكَانَ
مِنَ الْغٰوِیْنَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ
اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ
یَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ۚ
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ۝ سَآءَ
مَثَلَاۨ الْقَوْمُ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ
كَانُوْا یَظْلِمُوْنَ ۝ مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِیْ ۚ
وَمَنْ یُّضْلِلْ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

तर्जमाः ''उन्हें पढ़कर सुना ख़बर उसकी जिसे हमने अपनी आयतों का इल्म दिया था। वह उनसे निकल गया तो शैतान उसके पीछे लगा कि गुमराह हो गया और हम चाहते तो उस इल्म के बाइस उसे गिरने से उठा लेते मगर वह तो ज़मीन पकड़ गया और अपनी ख़्वाहिश का पैरू हो गया तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तू उस पर हमला करे तो ज़बान निकाल कर हाँपे और छोड़ दे तो हाँपे ये उन का हाल है जिन्होंने हमारी आयतें झुठलायीं तो हमारा ये इर्शाद बयान कर कि शायद लोग सोचें, क्या बुरा हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयतें झुठलायीं और अपनी ही जानों पर सितम ढाते थे जिसे खुदा हिदायत करे वही राह पाए और जिसे गुमराह करे तो वही

सरासर नुक़सान में है।" (पारा 9, सूरह आराफ़, रूकूअ 12)

यानी हिदायत कुछ इल्म पर नहीं ख़ुदा के इख़्तियार में है। यह आयतें हैं और हदीसें जो गुमराह आलिमों की मज़म्मत (भर्त्सना) में हैं। उनका तो शुमार ही नहीं, यहाँ तक कि एक हदीस में है कि दोज़ख़ के फ़रिश्ते बुत-परस्तों से पहले उन्हें पकड़ेंगे यह कहेंगे क्या हमें बुत पूजने वालों से भी पहले लेते हो। जवाब मिलेगा ليس من يعلم كمن لا يعلم (तर्जमाः जानने वाले और अन्जान बराबर नहीं।)

भाइयो! आलिम की इज़्ज़त तो इस बिना पर थी कि वह नबी का वारिस है, नबी का वारिस वह जो हिदायत पर हो और जब गुमराही पर है तो नबी का वारिस हुआ या शैतान का? उस वक़्त उसकी ताज़ीम नबी की ताज़ीम होती। अब उस की ताज़ीम शैतान की ताज़ीम होगी। यह इस सूरत में है कि आलिम कुफ़्र से नीचे किसी गुमराही में हो जैसे बद मज़हबों के उलमा, फिर उसका क्या पूछना जो ख़ुद कुफ़्रे शदीद में हो उसे आलिमे दीन जानना ही कुफ़्र है न कि आलिमे दीन जान कर उस की ताज़ीम।

भाईयो! इल्म उस वक़्त नफ़अ़ देता है कि दीन के साथ हो वरना पण्डित या पादरी क्या अपने यहाँ के आलिम नहीं। इबलीस कितना बड़ा आलिम था फिर क्या कोई मुसलमान उसकी ताज़ीम करेगा? उसे तो मुअल्लिमुल मलकूत (फ़रिश्तों का उस्ताद) कहते हैं। यानी फ़रिश्तों को इल्म सिखाता था। जब से उसने मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम से मुँह मोड़ा, हुज़ूर का नूर पेशानी-ए-आदम अलैहिस्सलाम में रखा गया, उसे सजदा न किया, उस वक़्त से लानते अबदी का तौक़ उसके गले में पड़ गया, देखो जब से उसके शार्गिदाने रशीद उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं, हमेशा उस पर लानत भेजते हैं। (यानी वो फ़रिश्ते जो उसके शार्गिद थे अब उस पर लानत करते हैं) हर रमज़ान मे महीना भर उसे ज़न्ज़ीरों में जकड़ते हैं, क़ियामत के दिन खींचकर जहन्नम में ढकेलेंगे। यहाँ से इल्म का जवाब भी वाज़ेह (साफ़ साफ़) हो गया और उस्ताज़ी का भी। यानी यह बात साफ़ हो गई कि

इल्म वाला हो या उस्ताद अगर वह अल्लाह व रसूल की तौहीन करता है तो उससे नफ़रत रखी जाए यही अल्लाह का हुक्म है जो क़ुरआन से साबित है।

भाईयो! करोड़-करोड़ अफ़सोस है ऐसा मुसलमान होने पर कि अल्लाह वाहिदे क़ह्हार और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा उसताद की वक़अत हो, अल्लाह व रसूल से बढ़कर भाई या दोस्त या दुनिया में किसी की मुहब्बत हो। ऐ रब! हमें सच्चा ईमान दे सदक़ा अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची इज़्ज़त सच्ची रहमत का। आमीन!

फ़िरक़ाए दोम

मुआनेदीन (मुख़ालिफ़ीन) व दुश्मनाने दीन कि ख़ुद इन्कारे ज़रूरियाते दीन रखते है और सरीह कुफ़्र करके अपने ऊपर से नामे कुफ़्र मिटाने को इस्लाम व क़ुरआन व ख़ुदा व रसूल व ईमान के साथ तमसख़ुर (मज़ाक़ ठट्ठा) करते और इब्लीस के तौर तरीक़े की तरह वह बातें बनाते हैं कि किसी तरह ज़रूरियाते दीन मानने की क़ैद उठ जाए, इस्लाम फ़क़त तोते की तरह ज़बान से कलिमा रट लेने का नाम रह जाए, बस कलिमे का नाम लेता हो चाहे ख़ुदा को झूठा, कज़्ज़ाब कहे, चाहे रसूल को सड़ी-सड़ी गालियाँ दे इस्लाम किसी तरह न जाए।

بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

तर्जमाः "यह मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के अदू (दुश्मन) अवाम को छलने और ख़ुदा-ए वाहिद क़ह्हार का दीन, बदलने के लिए चन्द शैतानी मकर पेश करते हैं।"

मकरे अव्वल

इस्लाम नाम कलिमागोई का है। हदीस में फ़रमायाः

من قال لا إلـه الا الله دخل الجنة

तर्जमाः "जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया जन्नत में जाएगा)"

फिर किसी क़ौल या फ़ेल की वजह से काफ़िर कैसे हो सकता है।

मुसलमानो! ज़रा होशियार, ख़बरदार, इस मकरे मलऊन का हासिल यह है कि ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना गोया ख़ुदा का बेटा बन जाना है। आदमी का बेटा अगर उसे गालियाँ दे, जूतियाँ मारे कुछ करे उसके बेटे होने से नहीं निकल सकता, यूँ ही जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया अब वह चाहे ख़ुदा को झूठा, कज़्ज़ाब कहे, चाहे रसूल को सड़ी-सड़ी गालियाँ दे उसका इस्लाम नहीं बदल सकता।

इस मकर का जवाब एक तो इसी आयते करीम में गुज़रा।

الٓمّٓ ۚ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا
اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

तर्जमाः "क्या लोग इस घमण्ड में हैं कि निरे इद्दिआए इस्लाम (इस्लामी दावा) पर छोड़ दिये जायेंगे और इम्तिहान न होगा?"

(सूरह अनकबूत)

इस्लाम अगर फ़क़त कलिमागोई का नाम था तो वह बेशक हासिल थी फिर लोगों को घमण्ड क्यूँ ग़लत था जिसे क़ुरआने अज़ीम रद्द फ़रमा रहा है। नीज़ः—

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता हैः

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ
قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ

तर्जुमाः "यह गंवार कहते हैं हम ईमान लाए। तुम फ़रमा दो ईमान तो तुम न लाए हो यूँ कहो कि हम मुती-उल-इस्लाम हुए। ईमान अभी तुम्हारे दिलों में कहाँ दाख़िल हुआ।"

(सूरह हुजरात, पारा 26, रूकूअ़ 14)

और फ़रमाता है:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ

तर्जमा: "मुनाफ़िक़ीन जब तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर होते हैं, कहते हैं हम गवाही देते हैं कि बेशक हुज़ूर यक़ीनन ख़ुदा के रसूल हैं और अल्लाह ख़ूब जानता है कि बेशक तुम ज़रूर उसके रसूल हो और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक ये मुनाफ़िक़ ज़रूर झूटे हैं।"

(पारा 28, सूरह मुनाफ़िक़ून, रूकूअ़ 13)

देखो, कैसी लम्बी चौड़ी कलिमा-गोई, कैसी-कैसी ताकीदों से मोअक्कद, कैसी-कैसी क़समों से मेअय्यद (ताईद किया हुआ), हरगिज़ मोजिबे इस्लाम न हुई और अल्लाह वाहिदे क़ह्हार ने उनके झूटे कज़्ज़ाब होने की गवाही दी तो من قال لا إلـه الا الله دخل الجنه. (**तर्जमा:** जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत में जाएगा) का यह मतलब गढ़ना सराहतन क़ुरआने अज़ीम का रद्द करना है। हाँ जो कलिमा पढ़ता हो अपने आपको मुसलमान कहता हो हम उसे मुसलमान जानेंगे। जब तक उससे कोई कलिमा कोई हरकत कोई फ़ेल इस्लाम के ख़िलाफ़ न सादिर हो, बादे सुदूरे मुनाफ़ी हरगिज़ कलिमा-गोई काम न देगी।.... यानी जो शख़्स कलिमा पढ़ता है और कभी अल्लाह व रसूल की तौहीन नहीं करता वो मुसलमान है मगर अगर उसने अदना सी भी अल्लाह या रसूल की तौहीन की और तौबा न की तो वह काफ़िर है, कलिमा पढ़ना उसका बेकार है।

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है:

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا
كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

तर्जमा: "ख़ुदा की क़सम खाते हैं कि उन्होंने नबी की शान में

गुस्ताख़ी न की और अलबत्ता बेशक वह यह कुफ़्र का बोल बोले और मुसलमान होकर काफ़िर हो गए।''

(पारा 10, सूरह तौबा, रूकूअ़ 16)

इब्ने जरीर व तबरानी व अबू शैख़ व इब्ने मर्दवैह अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम एक पेड़ के साये में तशरीफ़ फ़रमा थे। इरशाद फ़रमाया, अनक़रीब एक शख़्स आएगा कि तुम्हे शैतान की आँखों से देखेगा। वह आए तो उससे बात न करना। कुछ देर न हुई थी कि एक करंजी आँखों वाला सामने से गुज़रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर फ़रमायाः तू और तेरे रफ़ीक़ किस बात पर मेरी शान में गुस्ताख़ी के लफ़्ज़ बोलते हैं। वह गया और अपने रफ़ीक़ों को बुला लाया। सब ने आकर क़समें खाईं कि हमने कोई कलिमा हुज़ूर की शान में बे-अदबी का न कहा। इस पर अल्लाह (अज़्ज़ावजल्ला) ने यह आयत उतारी कि ख़ुदा की क़सम खाते हैं कि उन्होंने गुस्ताख़ी न की और बेशक ज़रूर वह यह कुफ़्र का कलिमा बोले और तेरी शान मे बे-अदबी कर के इस्लाम के बाद काफ़िर हो गए। देखो! अल्लाह गवाही देता है कि नबी की शान मे बे-अदबी का लफ़्ज़ कलिमाए-कुफ़्र है और उसका कहने वाला अगरचे लाख मुसलमानी का मुद्दई, करोड़ बार का कलिमा गो हो, काफ़िर हो जाता है।

और फ़रमाता हैः

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ
قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝
لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ

तर्जमाः ''और अगर तुम उनसे पूछो तो बेशक ज़रूर कहेंगे कि हम तो यूँही हंसी खेले में थे, तुम ठट्ठा करते थे, बहाने न बनाओ तुम काफ़िर हो चुके अपने ईमान के बाद।'' (पारा 10, सूरह तौबा, रूकूअ़ 14)

इब्ने अबी शैबा व इब्ने जरीर व इब्नुल मुन्ज़िर व इब्ने अबी हातिम व अबू शैख़ ईमाम मुजाहिद तिलमीज़े ख़ास सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत फ़रमाते हैं:

"किसी शख़्स की ऊँटनी गुम हो गई, उसकी तलाश थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऊँटनी फ़लाँ जगह है, उस पर एक मुनाफ़िक़ बोला, मुहम्मद (सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम) बताते हैं कि ऊँटनी फ़लाँ जगह है, मुहम्मद ग़ैब क्या जानें?"

इस पर अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ने यह आयते करीमा उतारी कि क्या अल्लाह व रसूल से ठट्ठा करते हो, बहाने न बनाओ, तुम मुसलमान कहला कर इस लफ़्ज़ के कहने से काफ़िर हो गए।

(देखो तफ़सीर इमाम इब्ने ज़रीर मतबअ़ मिस्र, जिल्द दहुम, पेज 105 व तफ़सीर दुर्रे मन्सूर इमाम जलालुद्दीन सुयूती जिल्द सोम, पेज 254)

मुसलमानो! देखो मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताख़ी करने से कि वह ग़ैब क्या जानें, कलिमा-गोई काम न आई और अल्लाह तआला ने साफ़ फ़रमा दिया कि बहाने न बनाओ, तुम इस्लाम के बाद काफ़िर हो गए। यहाँ से वह हज़रात भी सबक़ लें जो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम) के उलूमे ग़ैब से मुतलक़न मुन्किर (इन्कार करने वाला) है। देखो! यह क़ौल मुनाफ़िक़ का है और इसके कहने वाले को अल्लाह तआला ने अल्लाह व क़ुरआन व रसूल से ठट्ठा करने वाला बताया और साफ़ साफ़ काफ़िर मुर्तिद ठहराया। और क्यों न हो कि ग़ैब की बात जाननी शाने नबुव्वत है जैसा कि इमाम हुज्जतुल इस्लाम मुहम्मद ग़ज़ाली व इमाम अहमद क़ुसतलानी व मौलाना अली क़ारी व अल्लामा ज़रक़ानी वग़ैरहुम अकाबिर ने तसरीह फ़रमाई जिसकी तफ़सील रिसाइले इल्मे ग़ैब व बफ़ज़्लिही तअ़ाला बदरजा-ए-अतम (मुकम्मल तौर पर) व आला ज़िक्र की गई है फिर उस की सख़्त शामत कमाले दलालत (गुमराही) का क्या पूछना जो ग़ैब की एक बात भी खुदा के बताए से भी नबी को मअ़लूम होना मुहाल व नामुमकिन बताता है, उसके नज़दीक अल्लाह से सब चीज़ें

ग़ाएब हैं और अल्लाह को इतनी क़ुदरत नहीं कि किसी को एक ग़ैब का इल्म दे सके, अल्लाह तआला शैतान के धोकों से पनाह दे। आमीन!

हाँ बे ख़ुदा के बताए किसी को ज़र्रा भर का इल्म मानना ज़रूर कुफ़्र है और जमी मालूमात इलाहीया को इल्मे मख़लूक़ का मुहीत होना भी बातिल और अकसर उलमा के ख़िलाफ़ है लेकिन रोज़े अज़ल (पहले दिन) से रोज़ आख़िर तक का **मा काना व मा यकुन** (जो हुआ और जो होगा) अल्लाह तआला के मालूमात से वह निसबत भी नहीं रखता जो एक ज़र्रे के लाखवें, करोड़वें हिस्से बराबरी का करोड़हा करोड़ समन्दरों से हो बल्कि यह ख़ुद उलूमे मुहम्मदिया का एक छोटा सा टुकड़ा है। (यानी आला हज़रत फ़रमा रहे हैं कि अल्लाह तआला के इल्म की किसी एक के इल्म से कोई तुलना नहीं यहाँ तक रोज़े अज़ल से रोज़े आख़िर तक का **मा कान वमा यकून** का तमाम इल्म की तुलना अल्लाह तआला के इल्म की तुलना ऐसी भी नहीं की जा सकती जो एक ज़र्रे के करोड़हवें हिस्से को करोड़हा समन्दरों से है। बल्कि यह **मा कान वमा यकून** का इल्म तो हमारे हुज़ूर के इल्म का एक टुकड़ा है और अल्लाह के इल्म की तुलना किसी के इल्म से नहीं और फिर अल्लाह तआला का इल्म तो ज़ाती है यानी उसे किसी से मिला नहीं बल्कि ख़ुद से है और हमारे हुज़ूर को जितना भी इल्म मिला या जिसे भी मिला अल्लाह ही से मिला है। हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम इल्म के बाँटने वाले हैं। इन तमाम उमूर की तफ़सील अद्दौलतुल मक्किया (आला हज़रत मुजद्दिद दीन ओ मिल्लत इमाम अहमद रज़ा की एक किताब का नाम) वग़ैरह में है। ख़ैर यह तो जुमला-ए-मुअतरेज़ा (ऐसी बात जो बीच में आरज़ी तौर पर हो) था और इन्शा अल्लाह अज़ीम बहुत मुफ़ीद (फ़ायदेमन्द) था।

मकरे दोम

अब पिछली बहस की तरफ़ लौटिये इस फ़िरक़ए बातिला का मकरे दोम यह है कि इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अ़न्हु का मज़हब है कि لا نكفر احدا من اهل القبلة **तर्जमाः** "हम अहले क़िबला में से किसी को काफ़िर नहीं कहते।"

और हदीस में है जो हमारी सी नमाज़ पढ़े और हमारे क़िबले को मुँह करे और हमारा ज़बीहा खाए, वह मुसलमान है। मुसलमानो! इस मकरे ख़बीस में उन लोगों ने निरी कलिमा-गोई से उदूल (ख़िलाफ़) इंकार कर के अब सिर्फ़ क़िबला-रूई का नाम ईमान रख दिया यानी जो क़िब्ला-रू होकर नमाज़ पढ़ ले मुसलमान है अगरचे अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला को झूठा कहे, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को गालियाँ दे किसी सूरत किसी तरह ईमान नहीं टलता। "चूँ वज़ू-ए-मोहकम बीबी तमीज़।"

अव्वलन इस मकर का जवाबः

तुम्हारा रब अ़ज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता हैः

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ
الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ

तर्जमाः "असल नेकी यह नहीं कि अपना मुँह नमाज़ में पूरब या पश्चिम को करो बल्कि असल नेकी यह है कि आदमी ईमान लाए अल्लाह और क़ियामत पर और फ़रिश्तों और क़ुरआन और तमाम अम्बिया पर।" (सूरह बक़रा, रुकूअ़ 6)

देखो साफ़ फ़रमा दिया कि ज़रूरियाते दीन पर ईमान लाना ही असल कार है, बग़ैर इस के नमाज़ में क़िब्ला को मुँह करना कोई चीज़ नहीं।

और फ़रमाता हैः

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا
بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى
وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

तर्जमाः "वह जो ख़र्च करते हैं उसका क़बूल होना वन्द न हुआ मगर इसीलिए कि उन्होंने अल्लाह और रसूल के साथ कुफ़्र किया और नमाज़ को नहीं आते मगर जी हारे और ख़र्च नहीं करते मगर बुरे दिल से।" (सूरह तौबा, रूकूअ़, 13, आयत 54)

देखो उन का नमाज़ पढ़ना बयान किया और फिर उन्हें काफ़िर फ़रमाया, क्या वह क़िब्ला को नमाज़ नहीं पढ़ते थे? फ़क़त क़िब्ला कैसा, क़िब्लाए दिलो जाँ काबाए दीनो ईमान, सरवरे आलमियान (तमाम आलम के बादशाह) सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पीछे जानिबे क़िब्ला नमाज़ पढ़ते थे।

और फ़रमाता हैः

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّعْلَمُونَ ○ وَإِنْ نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ
الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ○

तर्जमाः "फिर अगर वह तौबा करें और नमाज़ बरपा रखें और ज़कात दें तो हमारे दीनी भाई हैं, और हम पते की बातें साफ़ बयान करते हैं इल्म वालों के लिए, और अगर क़ौल व इक़रार कर के फिर अपनी क़सम तोड़ें और तुम्हारे दीन पर तअन करें तो कुफ़्र के पेशवाओं से लड़ो, उनकी क़समें कुछ नहीं, शायद वह बाज़ आएँ।"
(सूरह तौबा, रूकूअ़ 8)

देखो, नमाज़ व ज़कात वाले अगर दीन पर ताना करें तो उन्हें कुफ़्र का पेशवा, काफ़िरों का सरग़ना फ़रमाया, क्या ख़ुदा और रसूल की शान में वह गुस्ताख़ियाँ दीन पर ताना नहीं, उसका बयान भी सुनिए।

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता हैः

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ
الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا
فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا
وَاسْمَعْ وَ انْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَ
لٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

तर्जमाः "कुछ यहूदी बात को उसकी जगह से बदलते हैं और कहते हैं हमने सुना और न माना और सुनिये आप सुनाए न जाएँ और राइना कहते हैं, ज़ुबान फेर कर और दीन पर ताना करने को और अगर वह कहते हमने सुना और माना और सुनिये और हमें मोहलत दीजिए तो उनके लिए बेहतर और बहुत ठीक होता लेकिन उन के कुफ़्र के सबब अल्लाह ने उन पर लानत की है तो ईमान नहीं लाते मगर कम।" (सूरह निसा, रूकूअ 4)

कुछ यहूदी जब दरबारे नुबुव्वत में हाज़िर होते और हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से कुछ अर्ज़ करना चाहते तो यूँ कहते सुनिये आप सुनाते न जाएँ जिससे ज़ाहिर तो दुआ होती यानी हुज़ूर को कोई नागवार बात न सुनाते और दिल में बद-दुआ का इरादा करते कि सुनाई न दे और जब हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कुछ इरशाद फ़रमाते और यह बात समझ लेने के लिए मोहलत चाहते तो, राईना कहते जिसका एक पहलूए ज़ाहिर यह कि हमारी रिआयत फ़रमाईये और मुराद ख़फ़ी (छुपी हुई) रखते रऊ़नतवाला, और बाज़ ज़बान दबाकर राईना कहते यानी हमारा चरवाहा। (यानी यहूदी दिल ही दिल में हुज़ूर के लिए राइना शब्द को तौहीन के तौर पर इस्तेमाल करते तो अल्लाह तआ़ला ने आयत नाज़िल फ़रमाई कि राइना न कहो बल्कि उनज़ुरना

कहो) जब पहलूदार बात दीन में ताना हुई तो सरीह व साफ़ कितना सख़्त ताना होगी बल्कि इन्साफ़ कीजिए तो उन बातों का सरीह भी उन कलिमात की शनाअत (बुराई) को नहीं पहुँचता बहरा होने की दुआ या रऊनत या बकरियाँ चराने की तरफ़ निसबत को इन अलफ़ाज़ से क्या निसबत कि शैतान से इल्म में कमतर पागलों चौपायों से इल्म में हमसर और ख़ुदा की निसबत है कि वह झूटा है, झूठ बोलता है और जो उसे झूटा बताए मुसलमान सुन्नी सालेह है।

सानियन (द्वितीए) इस वहमे शनीअ (बुरा वाहम) को मज़हबे सय्यदुना इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से बताना हज़रत इमाम पर सख़्त इफ़तरा और इत्तेहाम (तोहमत लगाना), इमाम रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने अक़ाएदे करीमा की किताबे मुताहर फ़िक़्हे अकबर में फ़रमाते हैं:

''अल्लाह तआला की सिफ़तें क़दीम हैं (यानी हमेशा से हैं) न तो पैदा हैं न किसी की बनाई हुई तो जो इन्हें मख़लूक़ या हादिस (जो पैदा हुई हो) कहे या इस बाब में तवक़्क़ुफ़ (ख़ामोश रहना) करे या शक लाए वह काफ़िर है और ख़ुदा का मुन्किर।

नीज़ इमामे हुमाम रदियल्लाहु तआला अन्हु ''किताबुल वसिया'' में फ़रमाते हैः ''जो शख़्स कलामुल्लाह को मख़लूक़ कहे उस ने अज़मत वाले ख़ुदा के साथ कुफ़्र किया।''

शरहे फ़िक़्हे अकबर में है: ''इमाम फ़ख़रुल इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़रमाते हैं इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मसलए ख़ल्क़े क़ुरआन में मुनाज़रा किया। (यानी क़ुरआन के मख़लूक़ होने के बारे में बहस की) मेरी और उनकी राय इस पर मुत्तफ़िक़ हुई कि जो क़ुरआने मजीद को मख़लूक़ कहे वह काफ़िर है और यह क़ौल इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह से भी ब-सेहत सबूत को पहुंचा।''

यानी हमारे अइम्मए सलासा रहमतुल्लाहि तआला अन्हुम का इजमा व इत्तेफ़ाक़ है कि क़ुरआन अज़ीम को मख़लूक़ कहने वाला काफ़िर है। क्या मोअतज़िला (एक फ़िरक़े का नाम) व किरामया (एक फ़िरक़े का

नाम) व ख़ाफ़िज़ क़ुरआन को मख़लूक़ कहते हैं उस क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ते, नफ़्से मसले का जुज़इया लीजिए इमाम मज़हबे हनफ़ी सय्यदुना इमाम अबू यूसुफ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु किताब "अल ख़िराज" में फ़रमाते हैं:

"जो शख़्स मुसलमान होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुश्नाम (गाली) दे या हुज़ूर की तरफ़ झूठ की निसबत करे या हुज़ूर को किसी तरह का ऐब लगाए या किसी वजह से हुज़ूर की शान घटाए वह यक़ीनन काफ़िर और खुदा का मुन्किर हो गया और उस की जोरू उसके निकाह से निकल गई।"

देखो कैसी साफ़ तसरीह है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तनक़ीसे शान करने से मुसलमान काफ़िर हो जाता है उसकी जोरू निकाह से निकल जाती है। क्या मुसलमान अहले क़िबला नहीं होता या अहले कलिमा नहीं होता? सबकुछ होता है मगर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी के साथ न क़िब्ला क़बूल न कलिमा मक़बूल।

सालिसन (तृतीए) असल बात यह है कि इस्तेलाहे-अइम्मा में (यानी इमामों की भाषा में) अहले क़िब्ला वह है कि तमाम ज़रूरियाते दीन पर ईमान रखता हो, उनमें से एक बात का भी मुन्किर हो तो क़तअन यक़ीनन, इजमाअन (यानी सब इमामों वग़ैरह की नज़र में) काफ़िर मुरतद है ऐसा कि जो उसे काफ़िर न कहे खुद काफ़िर है। शिफ़ा शरीफ़, बज़ाज़ियह व दुरर-व-ग़ुरर व फ़तावा ख़ैरियह वग़ैरह में है:

"तमाम मुसलमानों का इजमा है यानी तमाम मुसलमान इस बात को मानते हैं कि जो हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शाने पाक में गुस्ताख़ी करे वह काफ़िर है और जो उसके मुअज़्ज़ब (जिसे अज़ाब दिया जाए) या काफ़िर होने में शक करे वह भी काफ़िर है।"

"मजमउल अनहर" व "दुर्रे मुख़्तार" में है: "जो किसी नबी की शान में गुस्ताख़ी के सबब काफ़िर हुआ उसकी तौबा किसी तरह क़बूल

नहीं और जो उसके अ़ज़ाब व कुफ़्र में शक करे ख़ुद काफ़िर है।"

अलहमदु लिल्लाह! यह नफ़्से मसले का वह गिराँबहा जुज़ईया (फ़ार्मूला) है जिसमें उन बदगोयों के कुफ़्र पर इजमा (सब उलमा का इत्तेफ़ाक़), तमाम उम्मत की तसरीह है और यह भी कि जो उन्हें काफ़िर न जाने ख़ुद काफ़िर है

शरहे फ़िक़हे अकबर में है:

"मवाक़िफ़ में है कि अहले क़िब्ला को काफ़िर न कहा जावेगा मगर जब ज़रूरियाते दीन या इजमाई बातों से किसी बात का इन्कार करें जैसे हराम को हलाल जानना और मख़फ़ी (छुपा हुआ) नहीं कि हमारे उलमा जो फ़रमाते हैं कि किसी गुनाह के बाइस अहले क़िब्ला की तकफ़ीर रवा नहीं उससे निरा क़िब्ला को मुँह करना मुराद नहीं कि ग़ाली राफ़ज़ी जो बकते हैं कि जिबरईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम को वही में धोका हुआ। अल्लाह तआला ने उन्हें मौला अली रदियल्लाहु अन्हु की तरफ़ भेजा था और बाज़ तो मौला अली को ख़ुदा कहते हैं। (आइये यहाँ बताता चलूँ कि बाज़ राफ़ज़ियों का यह कहना है कि हज़रते जिबरईल मौला अली के लिए वही लाए थे और धोके से हुज़ूर को दे गए। मआज़ अल्लाह और बाज़ राफ़ज़ी तो मौला अली को मअज़ अल्लाह ख़ुदा कहते हैं अल्लाह महफ़ूज़ रखे! आमीन) यह लोग अगरचे क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ पढ़ें मुसलमान नहीं और इस हदीस की भी यही मुराद है जिसमें फ़रमाया कि जो हमारी सी नमाज़ पढ़े और हमारे क़िब्ला को मुँह करे और हमारा ज़बीहा खाए वह मुसलमान है।"

यानी जब कि तमाम ज़रूरियाते दीन पर ईमान रखता हो और कोई बात मुनाफ़ी ईमान न करे। इसी में है:

"जान लो कि अहले क़िब्ला से मुराद वह लोग हैं जो तमाम ज़रूरियाते दीन में मुवाफ़िक़ हैं, जैसे आलम का हादस (अल्लाह तआला का पैदा किया हुआ) होना, अजसाम (जिस्म की जमा) का हश्र होना, अल्लाह तआला का इल्म तमाम कुल्लियात व जुज़यात को मुहीत (घेरे हुए) होना

और जो अहम मसअले उनकी मानिन्द हैं, तो जो तमाम उम्र ताअतों इबादतों में रहे और उसके साथ ये ऐतक़ाद रखता हो कि आलम क़दीम है (यानी आलम हमेशा से है पैदा किया हुआ नहीं) या हश्र न होगा या अल्लाह तआला जुज़इयात को नहीं जानता वह अहले क़िब्ला से नहीं और अहले सुन्नत के नज़दीक अहले क़िब्ला में किसी को काफ़िर न कहने से यह मुराद है कि उसे काफ़िर न कहेंगे जब कि उसमें कुफ़्र की कोई अलामत व निशानी न पाई जाए और कोई बात मूजिबे कुफ़्र उससे सादिर न हो।"

इमामे अजल सय्यदी अब्दुल अज़ीज़ इब्ने अहमद इब्ने मुहम्मद बुख़ारी हनफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अ़लैह "तहक़ीक़ शरहे उसूल हुसामी" में फ़रमाते हैं:

"बद-मज़हब अगर अपनी बद मज़हबी में ग़ाली (ग़ुलू करने वाला) हो जिसके सबब उसे काफ़िर कहना वाजिब हो तो इजमा में उसकी मुख़ालफ़त मुवाफ़क़त का कुछ ऐतबार न होगा कि ख़ता से मासूम होने की शहादत तो उम्मत के लिए आई है और वह उम्मत ही से नहीं अगरचे क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ पढ़ता और अपने आप को मुसलमान ऐतक़ाद करता हो इसलिए कि उम्मत क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ पढ़ने वालों का नाम नहीं बल्कि मुसलमान का नाम है और यह शख़्स काफ़िर है, अगरचे अपनी जान को काफ़िर न जाने।"

रद्दुल मुहतार में है:

"ज़रूरियाते इस्लाम से किसी चीज़ में ख़िलाफ़ करने वाला बिल इजमा काफ़िर है अगरचे अहले क़िब्ला से हो और उम्र भर ताआत में बसर करे जैसा कि शरहे तहरीर इमाम इब्नुल हुमाम में फ़रमाया।

कुतुबे अक़ाएद-व-फ़िक़्ह उसूल इन तसरीहात से मालामाल हैं।

राबेअन (चतुर्थ) ख़ुद मसअला बदीही है। क्या जो शख़्स पाँच वक़्त क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ पढ़ता और एक वक़्त महादेव को सजदा कर लेता हो, किसी आक़िल के नज़दीक मुसलमान हो सकता है हालाँकि

अल्लाह को झूठा कहना या मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की शाने अक़्दस में गुस्ताख़ी करना महादेव के सजदे से कहीं बदतर है अगरचे कुफ़्र होने में बराबर है। وذلك ان الكفر بعضه اخبث من بعض (तर्जमाः और वह इसलिए कि बाज़ कुफ़्र बाज़ से ज़्यादा बुरा है) वजह यह कि बुत को सजदा अलामते तकज़ीबे ख़ुदा है (यानी यह ख़ुदा को झुटलाने की निशानी है) और अलामते तकज़ीब ऐन तकज़ीब (अस्ल तकज़ीब) के बराबर नहीं हो सकती और सजदे में यह एहतेमाले अक़्ली भी निकल सकता है कि महज़ तहीयत व मुजरा मक़्सूद हो न कि इबादत और महज़ तहीयत फ़ी नफ़सेही कुफ़्र नहीं लिहाज़ा अगर मसलन किसी आलिम या आरिफ़ को तहीयतन सजदा करे गुनहगार होगा काफ़िर न होगा। अमसाल बुत में शरअ़ ने मुतलक़न हुक्मे कुफ़्र बर बिनाए शिआरे ख़ास कुफ़्फ़ार रखा है। ब-ख़िलाफ़ बदगोई हुज़ूर पुरनूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम कि फ़ी नफ़सेही कुफ़्र है जिसमें कोई एहतेमाले इस्लाम नहीं... और मैं यहाँ इस फ़र्क़ पर बिना नहीं रखता कि साजिदे सनम (बुत को सजदा करने वाला) की तौबा व इजमाए उम्मत मक़्बूल है। मगर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी करने वाले की तौबा हज़ारहा अइम्माए दीन के नज़दीक असलन क़बूल नहीं और इसी को हमारे उलमाए हनफ़िया से इमाम बज़्ज़ाज़ी व इमाम मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ इब्नुल हुमाम व अल्लामा मौला ख़ुसरू साहिबे दुरर व ग़ुरर अल्लामा ज़ैन बिन नजीम साहिबे बहरुर्राएक़ व अशबाह वन्नज़ाएर व अल्लामा उमर बिन नजीम साहिबे नेहरुल फ़ाएक़ व अल्लामा अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ग़ज़ाली साहिबे तनवीरुल अबसार व अल्लामा ख़ैरुद्दीन रमली साहिबे फ़तावा ख़ैरियह व अल्लामा शैख़ज़ादा साहिबे मजमउल अनहर व अल्लामा मुदक़्क़िक़ मुहम्मद बिन अली हसकफ़ी साहिबे दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुम अमाएदे किबार अलैहिम रहमतुल्लाहिल अज़ीज़िल ग़फ़्फ़ार ने इख़्तियार फ़रमाया इसलिए कि अदमे क़बूल तौबा सिर्फ़ हाकिमे इस्लाम

के यहाँ है कि वह उस मामले में तौबा के बाद भी सज़ाए मौत दे वरना अगर तौबा सिदक़ दिल से है तो अल्लाह के नज़दीक मक़बूल है... कहीं वे वदगो इस मसअले को दस्तावेज़ न बना लें कि आख़िर तो तौबा क़बूल नहीं फिर क्यों ताएब हों। नहीं नहीं तौबा से कुफ़्र मिट जाएगा, मुसलमान हो जाओगे जहन्नमे अबदी से नजात पाओगे, इस क़द्र पर इजमा है (यानी आला हज़रत फ़रमाते हैं कि ख़ुदा के अलावा किसी को सजदा करने वाला यह कह सकता है कि मैं ताज़ीमन सजदा कर रहा हूँ और ऐसा सजदा हराम है, कुफ़्र नहीं लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तौहीन करने में कोई बहाना न चलेगा जैसा कि पीछे आई आयत से भी साबित हुआ यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला काफ़िर व मुरतद है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने वाले की तौबा क़बूल मगर हुज़ूर की तौहीन करने वाले की तौबा क़बूल नहीं। इस पर भी अगर कोई शख़्स हुज़ूर की तौहीन करने के बाद सच्ची तौबा करता है तो उसे तौबा के बाद क़त्ल किया जाएगा) (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुम वल्लाह तआ़ला आलम)

मकरे सोम

इस फ़िरक़ा-ए-बेदीन का तीसरा मकर यह है कि फ़िक़्ह में लिखा है जिसमें निन्नानवे बातें कुफ़्र की हों और एक बात इस्लाम की तो उसको काफ़िर न कहना चाहिए।

अव्वलन (प्रथम) यह मकर ख़ास सब मकरों से बदतर व ज़ईफ़ है जिसका हासिल यह है कि जो शख़्स दिन में एक बार अज़ान दे या दो रक़अत नमाज़ पढ़ ले और निन्नानवे बार बुत पूजे, संख फूंके, घन्टी बजाए वह मुसलमान है कि उसमें निन्नानवे बातें कुफ़्र की हैं तो एक इस्लाम की भी है, हालांकि मोमिन तो मोमिन कोई आक़िल उसे मुसलमान नहीं कह सकता।

सानियन (द्वितीय) उसकी रू से सिवा दहरये (नास्तिक) के कि सिरे

से ख़ुदा के वजूद ही का मुन्किर हो, तमाम काफ़िर, मुश्रिक, मजूस, हुनूद, नसारा, यहूद वग़ैरहुम दुनिया भर के कुफ़्फ़ार सब मुसलमान ठहरे जाते हैं कि और बातों के तो मुन्किर सही आख़िर वजूदे ख़ुदा के क़ाएल हैं। एक वही बात सब से बढ़ कर इस्लाम की बात बल्कि तमाम इस्लामी बातों की असलुल उसूल है, खुसूसन कुफ़्फ़ार, फ़लासिफ़ा व आर्य वग़ैरहुम कि अपने गुमान में खुद तौहीद के भी क़ाएल हैं और यहूद व नसारा तो बड़े भारी मुसलमान ठहरेंगे कि तौहीद के साथ अल्लाह तआला के बहुत से कलामों और हज़ारों नबियों और क़ियामत व हश्र व हिसाब व सवाब व अज़ाब व जन्नत व नार वग़ैरह ब-कसरत इस्लामी बातों के क़ाएल हैं।

सालेसन (तृतीय) उसके रद्द में क़ुरआने अज़ीम की वह आयतें कि ऊपर गुज़रीं काफ़ी व वाफ़ी हैं जिनमें ब-वसफ़ कलिमा गोई व नमाज़-ख़्वानी सिर्फ़ एक-एक बात पर हुक्मे तकफ़ीर फ़रमा दिया कहीं इरशाद हुआ كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ (**तर्जमा:** वह मुसलमान होकर इस कलिमे के सबब काफ़िर हो गए)... कहीं इरशाद फ़रमाया لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ (तर्जमा: बहाने न बनाओ तुम काफ़िर हो चुके ईमान के बाद) हालाँकि इस मकरे ख़बीस की बिना पर जब तक 99 से ज़्यादा कुफ़्र की बातें जमा न हो जाएं सिर्फ़ एक कलिमे पर हुक्मे कुफ़्र सही न था। हाँ शायद इस का यह जवाब दें कि यह ख़ुदा की ग़लती या जल्दबाज़ी थी कि उसने दाइरए-इस्लाम तंग कर दिया, कलिमागोयों अहले क़िब्ला को धक्के दे दे कर सिर्फ़ एक एक लफ़्ज़ पर इस्लाम से निकाला और फिर ज़बरदस्ती यह कि उज़्र भी न करने दिया, न उज़्र सुनने का क़स्द (इरादा) किया। अफ़सोस है! ख़ुदा ने पीरे नेचर या नदविया लेकचरर या उनके हम ख़्याल किसी वसीउल इस्लाम रिफ़ारमर से मशवरा न लिया। اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

राबिअन (चतुर्थ) इस मकर का जवाब

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ

وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ
مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۞

तजमाः "तो क्या अल्लाह के कलाम का कुछ हिस्सा मानते हो और कुछ हिस्से से मुन्किर हो, तो जो कोई तुम में से ऐसा करे उस का बदला नहीं मगर दुनिया की ज़िन्दगी में रुसवाई और क़ियामत के दिन सब से ज़्यादा सख़्त अज़ाब की तरफ़ पलटे जाएंगे, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से ग़ाफ़िल नहीं। यही लोग हैं जिन्होंने उक़्बा बेचकर दुनिया ख़रीदी तो न उन पर से कभी अज़ाब हल्का हो, न उनको मदद पहुंचे।" (सूरह बक़र, रूकूअ 10, आयत 85-86)

कलामे इलाही में फ़र्ज़ कीजिए अगर हज़ार बातें हों तो उनमें से हर एक बात का मानना एक इस्लामी अक़ीदा है। अब अगर कोई शख़्स 999 माने और सिर्फ़ एक न माने तो क़ुरआने अज़ीम फ़रमा रहा है कि वह उन 999 के मानने से मुसलमान नहीं बल्कि सिर्फ़ उस एक के न मानने से काफ़िर है। दुनिया में उसकी रुसवाई होगी और आख़िरत में उस पर सख़्त-तर अज़ाब जो अबदुल आबाद (हमेशा हमेशा) तक कभी मोक़ूफ़ (रुक जाना) होना क्या माअना? एक आन को भी हल्का न किया जाएगा न कि 99 का इन्कार करे और एक को मान ले तो मुसलमान ठहरे, यह मुसलमानों का अक़ीदा नहीं बल्कि ब-शहादते क़ुरआने अज़ीम ख़ुद सरीह कुफ़्र है।

ख़ामेसन (पंचम) असल बात यह है कि फ़ुक़हाए-किराम पर उन लोगों ने जीता इफ़तिरा (साफ़ साफ़ इल्ज़ाम) उठाया, उन्होंने हरगिज़ कहीं ऐसा

नहीं फ़रमाया बल्कि उन्होंने ब-ख़सलतें यहूद يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ (तर्जमाः यहूदी बात को उस के ठिकानों से बदलते हैं) तहरीफ़ तबदील कर के कुछ का कुछ बना लिया, फ़ुक़हा ने यह नहीं फ़रमाया कि जिस शख़्स में निनानवे बातें कुफ़्र की और एक इस्लाम की हो वह मुसलमान है। हाशा लिल्लाह। बल्कि तमाम उम्मत का इजमा है कि जिस में निनानवे हज़ार बातें इस्लाम की और एक कुफ़्र की हो वह यक़ीनन क़तअन काफ़िर है। 99 क़तरे गुलाब में एक बूँद पेशाब की पड़ जाए सब पेशाब हो जाएगा। मगर यह जाहिल कहते हैं कि निनानवे क़तरे पेशाब में एक बूँद गुलाब डाल दो सब तय्यब ताहिर हो जाएगा। हाशा कि फ़ुक़हा तो फ़ुक़हा कोई अदना तमीज़ वाला भी ऐसी जहालत बके बल्कि फ़ुक़हाए किराम ने यह फ़रमाया कि जिस मुसलमान से कोई लफ़्ज़ ऐसा सादिर हो जिस में सौ पहलू निकल सकें उनमें 99 पहलू कुफ़्र की तरफ़ जाते हों और एक इस्लाम की तरफ़ तो जब तक साबित न हो जाए कि उसने ख़ास कोई पहलू कुफ़्र का मुराद रखा है तो हम उसे काफ़िर न कहेंगे कि आख़िर एक पहलू इस्लाम का भी तो है क्या मालूम शायद उसने वही पहलू मुराद रखा हो और साथ ही यह फ़रमाते हैं कि अगर वाक़ेअ में उसकी मुराद कोई पहलू-ए-कुफ़्र है तो हमारी तावील से उसे कोई फ़ायदा न होगा। वह इन्दल्लाह (अल्लाह के नज़दीक) काफ़िर ही होगा। उसकी मिसाल यह है कि मसलन ज़ैद कहे अम्र को इल्मे क़तई यक़ीनी ग़ैब का है इस कलाम में इतने पहलू हैं:

(1) अम्र अपनी ज़ात से ग़ैबदान है (यानी अम्र ख़ुद-ब-ख़ुद ग़ैब जानता है) यह सरीह कुफ़्र व शिर्क है।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

तर्जमाः "तुम फ़रमाओ ग़ैब नहीं जानते जो कोई आसमानों और ज़मीनों में है मगर अल्लाह।" (पारा 20, रूकूअ 1)

(2) अम्र आप तो ग़ैबदान नहीं मगर "जिन्न" इल्मे ग़ैब रखते हैं उनके बताए से उसे ग़ैब का इल्म यक़ीनी असल हो जाता है यह भी

कुफ़्र है।

تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ

तर्जमाः जिन्नों की हक़ीक़त खुल गई अगर ग़ैब जानते होते तो इस ख़्वारी के अज़ाब में न होते। (पारा 22, रुकूअ 8)

(3) अमर नुजूमी (ज्योतिषि) है
(4) रम्माल (ज्योतिष का माहिर) है
(5) सामन्द्रक (पांव की लकीर देखकर इंसान के अच्छे बुरे हालात बता देने का इल्म) जानता, हाथ देखता है
(6) कव्वे वग़ैरा की आवाज़ से शगुन लेता है
(7) हशरातुल अर्द़ (जमीन के कीड़े मकोड़े) के बदन पर गिरने से शगुन लेता है।
(8) किसी परिन्दे या वहशी चरिंदे के दाहिने या बाएँ निकल कर जाने से शगुन लेता है
(9) आँख या दीगर आज़ा के फड़कने से शगुन लेता है।
(10) पाँसा फेंकता है।
(11) फ़ाल देखता है।
(12) हाज़िरात से किसी को मामूल बनाकर उससे अहवाल पूछता है।
(13) मिसमिरज़म (हिप्नोटिज़्म) जानता है।
(14) जादू की मेज़ से हाल दरयाफ़्त करता है।
(15) रूहों की तख़्ती से हाल दरयाफ़्त करता है।
(16) क़ियाफ़ादाँ है (गैस या अन्दाज़ा करता है)
(17) इल्मे ज़ायरजा से वाक़िफ़ है।

इन ज़राय से उसे ग़ैब का इल्म क़तई यक़ीनी मिलता है। यह सब भी कुफ़्र है जबकि इन की वजह से ग़ैब के इल्मे क़तई यक़ीनी का दावा किया जाए जैसा कि नफ़्से कलाम में ज़िक्र किया गया है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

"जो कोई किसी क़याफ़ा जानने वाले के पास या काहिन या नुजूमी के पास पस तसदीक़ करे उनकी उन बातों पर जो वह कहे तो उसने कुफ़्र किया उसके साथ जो नाज़िल किया गया मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) पर। (इस हदीस को रिवायत किया इमाम अहमद ने और हाकिम ने सनद सहीह के साथ हज़रत अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से और अहमद की और अबू दाऊद की रिवायत में इतना और ज़्यादा है... तो तहक़ीक़ कि वह दूर हो गया उससे जो नाज़िल किया गया मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर।"

(18) अम्र पर वही-ए-रिसालत आती है और उसके सबब ग़ैब का इल्म यक़ीनी पाता है जिस तरह रसूलों को मिलता था यह सख़्त कुफ़्र है।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ۠

तर्जमाः "हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों से पिछले और अल्लाह सब कुछ जानता है:" (पारा 22, रूकूअ 2)

(19) वहीय् तो नहीं आती मगर बज़रिये इलहाम जमी ग़ुयूब (तमाम ग़ैब के इल्म) उस पर मुन्कशिफ़ (खुल गए) हो गए हैं, यानी तमाम ग़ैब के इल्म उस पर खुल गए उसका इल्म तमाम मालूमाते इलाही को मुहीत (घेरे में लेना) हो गया है। यह यूँ कुफ़्र है कि उसने अम्र को इल्म में हुज़ूर पुरनूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर तरजीह दे दी कि हुज़ूर का इल्म भी जमीअ़ (तमाम) मालूमाते इलाही को मुहीत (घेरे हुए) नहीं। यानी उसने इतना इल्म मान लिया कि हुज़ूर मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से भी ज़्यादा इल्म हो गया कि उनका इल्म भी इतना नहीं।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ

तर्जमाः "क्या वह नाफ़रमानों जैसा हो जाएगा, तुम फ़रमाओ क्या बराबर हैं जानने वाले और अन्जान।" (पारा 23, रूकूअ 15)

(20) जमीअ़ का इहाता न सही मगर जो उलूमे ग़ैब उसे इलहाम से मिले उन में ज़ाहिरन बातिनन किसी तरह किसी रसूल, इन्स, मलक की विसातत (वास्ता) व तबइय्यत (पैरवी) नहीं, अल्लाह तआला ने बिला वास्ता-ए-रसूल इसालतन उसे ग़ुयूब पर मुत्तला किया। (यानी डाइरेक्ट अल्लाह से बग़ैर रसूल या फ़रिश्ते के वास्ते से उसे ग़ैब के इल्म मिल गए) यह भी कुफ़्र है।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

तर्जमाः "और अल्लाह की शान यह नहीं कि ऐ आम लोगो! तुम्हें ग़ैब का इल्म दे दे, हाँ अल्लाह चुन लेता है रसूलों से जिसे चाहे।" (पारा 4, रूकूअ 9)

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

तर्जमाः "ग़ैब का जानने वाला तो अपने ग़ैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाए अपने पसन्दीदा रसूलों के।" (पारा 29, रूकूअ 12)

(21) अम्र को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के वास्ते से समअन (सुन कर) या ऐनन (देख कर) या इलहामन (ख़ुदा की तरफ़ से दिल में आई हुई बात) बाज़ (कुछ) ग़ुयूब का इल्म क़तई अल्लाह ने दिया या देता है, यह एहतेमाल ख़ालिस इस्लाम से है तो मुहक़्क़िक़ीन फ़ुक़हा उस क़ाएल (कहने वाले) को काफ़िर न कहेंगे कि अगरचे उसकी बात के इक्कीस पहलुओं में बीस कुफ़्र हैं मगर एक इस्लाम का भी है। एहतियात व तहसीने-ज़न (अच्छा

गुमान) के सबब उसका कलाम इसी पहलू पर हमल करेंगे जब तक साबित न हो कि उसने कोई पहलू-ए-कुफ़्र ही मुराद लिया ना कि एक मलऊन कलाम तकज़ीबे खुदा या तनकीसे शाने सय्यदुल अम्बिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम में साफ़ सरीह ना क़ाबिले तावील व तौज़ीह (वजह बयान करना) हो और फिर भी हुक्मे कुफ़्र न हो, अब तो उसे कुफ़्र न कहना, कुफ़्र को इस्लाम मानना होगा, और जो कुफ़्र को इस्लाम माने खुद काफ़िर है। अभी शफ़ा या बज़ाज़ियह, दुरर व बहर व नेहर व फ़तावा ख़ैरिया व मजमउल अनहर व दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा कुतुबे मोतमदह से सुन चुके कि जो शख़्स सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की तनक़ीसे शान करे यानी शान घटाए, काफ़िर है और जो उसके कुफ़्र में शक करे वह भी काफ़िर है मगर यहूदी मनिश (आदत) लोग फ़ुक़हाए किराम पर इफ़तिराए सख़ीफ़ (कमज़ोर इल्ज़ाम) और उनके कलाम में तब्दील व तहरीफ़ करते हैं।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

तर्जमाः "और अब जाना चाहते हैं ज़ालिम कि किस करवट पर पलटा खायेंगे।" (पारा 19, रूकूअ 15)

शरह फ़िक़हे अकबर में हैः

"तहक़ीक कि बयान किया उलमाए किराम ने कि बेशक वह मसअला जो तअल्लुक़ रखता है कुफ़्र से जब कि हो किसी एक बात में निन्नानवे एहतमाल कुफ़्र के और सिर्फ़ एक ही एहतेमाल हो उसकी नफ़ी का (यानी ईमान का) तो बेहतर है मुफ़्ती के लिए और क़ाज़ी के लिए यह कि अमल करे नफ़ी करने वाले पर (यानी उसके लिए मोमिन ही का हुक्म दिया जाए)।"

फ़तावा ख़ुलासा व जामेउल फ़ुसूलीन व मोहीत व फ़तावा आलमगीरिया वग़ैरहा में हैः

"यही मसअला फ़तावा खुलासा जामेउल फ़ुसूलीन और मुहीत और फ़तावा आलमगीरी वग़ैरह में यूँ है "जब हों किसी मसअले में ऐसी वुजूह जो वाजिब करें कुफ़्र को और उसमें एक ही वजह ऐसी हो जो मना करे तकफ़ीर को (यानी कुफ़्र लगाने को) तो वाजिब है मुफ़्ती पर और क़ाज़ी पर यह कि माइल हो इसी एक वजह की तरफ़ और न फ़तवा दे इसके कुफ़्र का, हुस्ने ज़न का लिहाज़ रखते हुए मुसलमान के साथ फिर कहने वाले की नियत वही वजह की हो जो मना करे तकफ़ीर को तो वह मुसलमान ही है और अगर उसकी नियत न हो तो न नफ़ा देगा उसको मुफ़्ती का हमल करना उसके कलाम को उस तरीक़े पर जो न वाजिब करे तकफ़ीर हो।

इसी तरह "फ़तावा बज़ाज़ियाह" व "बहरुर्राएक़" व "मजमउल अनहर" व "हदीक़ए-नदीय्यह" में है "तातार ख़ानीयह" व "बहर व सल्लुलहसाम" व "तम्बीहुल वुलात" वग़ैरह में है:-

"कुफ़्र का हुक्म नहीं दिया जाएगा वजह मुहतमल (गुमान किया गया) इसलिए कि कुफ़्र इन्तेहाए अज़ाब है। पस वह चाहेगा इन्तिहाए कुसूर को और वजह एहतिमाल के साथ इन्तिहा नहीं हो सकती।"

बहरुर्राइक़ व तनवीरुल अबसार व हदीक़-ए-नादिय्यह व तम्बीहुल वुलात वसलल हुसाम वग़ैरह में है:

"और वह मुहर्रर (लिखा हुआ) है और यह है कि बेशक नहीं फ़तवा दिया जाएगा किसी मुसलमान के कुफ़्र का अगर मुमकिन हो उसके कलाम का हमल करना किसी अच्छे एहतेमाल पर।"

देखो एक लफ़्ज़ के चन्द एहतेमाल में कलाम है न कि एक शख़्स के चन्द अक़वाल में मगर यहूदी बात को तहरीफ़ कर देते हैं।

फ़ायदए जलीलह

इस तहक़ीक़ से यह भी रौशन हो गया कि बाज़ फ़तावा, मिस्ले फ़तावा क़ाज़ी ख़ान वग़ैरह में है जो उस शख़्स पर कि अल्लाह व रसूल

की गवाही से निकाह करे या कहे अरवाहे मशाएख़ (शैख़ों या पीरों की रूहें) हाज़िर व वाक़िफ़ हैं या कहे मलायका ग़ैब जानते हैं बल्कि कहे मुझे ग़ैब मालूम है, हुक्मे कुफ़्र दिया.... इससे मुराद वही सूरते कुफ़्रिया मिस्ले इद्दिआए इल्मे ज़ाती वग़ैरह है (यानी यहाँ उसका मतलब इल्मे ज़ाती का दावा करना है) वरना इन अक़्वाल में तो एक छोड़ मुतअद्दिद एहतेमाल इस्लाम के हैं कि यहाँ इल्मे ग़ैब क़तई यक़ीनी की तसरीह नहीं और इल्म का इतलाक़ ज़न (गुमान) पर शाय व आम है तो इल्मे ज़न्नी की शिक़ भी पैदा होकर इक्कीस की जगह बयालीस एहतेमाल निकलेंगे और उनमें बहुत से कुफ़्र से जुदा होंगे कि ग़ैब का इल्म ज़न्नी (गुमान किया हुआ) का इद्दिआ (दावा) कुफ़्र नहीं। (यहाँ मतलब यह है कि गुमान की वजह से यहाँ 21 की जगह अब 42 वजहें हो गईं क्यूँकि पीछे जो 21 वजहें गिनाई गईं वहाँ गुमान नहीं था बल्कि कहा गया था। यहाँ कहना और गुमान की वजह से 42 वजहें हो गईं मगर यहाँ हुक्मे कुफ़्र इसलिए दिया जाएगा कि यहाँ ज़ाती इल्म मुराद लिया गया है)

बहरुर्राइक़ व रद्दुल मुख़तार में है:

"जाना गया उनके मसाइल से यहाँ पर कि बेशक जिसने हलाल जाना उसको जिसको अल्लाह ने हराम किया ज़न (गुमान) के तरीक़े पर तो उसको काफ़िर नहीं कहा जाएगा और बेशक काफ़िर हो जाएगा जब ऐतक़ाद करे हराम को हलाल और उसकी नज़ीर वह है जिसको बयान किया क़रतबी ने शरहे मुस्लिम में कि बेशक ग़ैब का गुमान जाएज़ है जैसा कि नजूमी और इल्मे रमल के जानने वाले का गुमान करना। किसी चीज़ के वाक़िई होने के बारे में किसी अम्रे आदी के तजर्बे से तो यह गुमान ठीक नहीं है। और वह गुमान मना है जो इल्मे ग़ैब का दावा का गुमान है और यह बात ज़ाहिर इद्दिआए ज़न (गुमान किया गया दावा) ग़ैब हराम है कुफ़्र नहीं है। ब-ख़िलाफ़ इद्दिआ इल्म (इल्म का दावा) के, इसके आख़िर मे बहरूर्राइक़ में इतना और ज़्यादा है "क्या तू नहीं देखता कि बेशक उन्होंने कहा कि हराम-शुदा औरत के निकाह के बारे में हलाल

गुमान कर लेने पर उसे हद नहीं लगाई जाएगी। इस पर इमामों का इजमा है और इसे ताज़ीर यानी हल्की सज़ा दी जाएगी और फ़तावा ज़हीरिया वग़ैरह में है और उसके कुफ़्र का क़ौल किसी ने नहीं किया और यही हुक्म है उसकी नज़ीरों में।''

तो क्योंकर मुमकिन कि उलमाए-बा-वसफ़ उन तसरीहात के कि एक एहतेमाले इस्लाम भी नफ़ी कुफ़्र है यानी कुफ़्र के हुक्म से रोकने वाला है जहाँ ब-कसरत एहतेमालाते इस्लाम मौजूद हैं, हुक्मे कुफ़्र लगायें। लाजर्म (यक़ीनी तौर पर) उससे मुराद वही ख़ास एहतेमाले कुफ़्र है मिस्ले इद्दआए इल्मे ज़ाती वग़ैरह (ज़ाती इल्म का दावा करना वग़ैरह) वरना यह अक़वाल आप ही बातिल (झूटे) और अइम्मा-ए-किराम की अपनी ही तहक़ीक़ाते आलिया के मुख़ालिफ़ होकर ख़ुद ज़ाहिब (बेकार, ख़त्म) व ज़ाइल (बरबाद, बेकार) होंगे, इसकी तहक़ीक़ जामेउल फ़ुसूलीन व रद्दुल मुहतार व हाशिया-ए-अल्लामा नूह व मुलतक़त फ़तावा हुज्जत व तातार ख़ानिया व मजमउल अनहर व हदीक़ए नदिय्या व सल्लुलहसाम वग़ैरह कुतुब में है, नसूस इबारात, रसाइले इल्मे ग़ैब मिस्ल अललुउलुउल मकनून वग़ैरा में मुलाहिज़ा हो वबिल्लाहित्तौफ़ीक़, यहाँ हदीक़ए-नदिय्यह शरीफ़ के यह कलिमाते शरीफ़ा बस हैं:

''कुतुबे फ़तावा में जितने अलफ़ाज़ पर हुक्मे कुफ़्र का जज़्म (यक़ीन) किया है उनसे मुराद वह सूरत है कि क़ाइल ने उनसे पहलूए कुफ़्र मुराद लिया हो वरना हरगिज़ कुफ़्र नहीं।''

नोटः– वैसे तो पूरी ही किताब मुश्किल है मगर हैडिंग सुर्ख़ी **'मकरे दोम'** से यहाँ तक बल्कि आगे भी और ख़ास तौर पर हुक्मे कुफ़्र लगाने का बयान बहुत ही मुश्किल है। हमने अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश की है कि अपने उन पाठकों को जो उर्दू बिल्कुल ही नहीं जानते यह किताब समझा दें मगर यहाँ पर लगता है कि इस तरह आख़िर के यह कुछ पन्ने समझाना तक़रीबन नामुमकिन सा है फिर भी आप तहरीर को बार-बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें उम्मीद है समझ में आएगी। इसके बाद

भी अगर समझ न आए तो किसी सुन्नी आलिम की मदद लें। अल्लाह व रसूल आपकी मदद फ़रमाए।

ज़रूरी तम्बीह!

एहतेमाल (गुमान) वह मोतबर (ऐतबार के क़ाबिल) है जिसकी गुन्जाइश हो, सरीह बात (साफ़ बात) में तावील (बहाना) नहीं सुनी जाती वरना कोई बात भी कुफ़्र न रहे। मिसाल के तौर पर ज़ैद ने कहा ख़ुदा दो हैं, उसमें तावील हो जाए कि लफ़्ज़ ख़ुदा से ब-हज़्फ़े-मुज़ाफ़ हुक्मे ख़ुदा मुराद है (यानी बहाना यह बनाए कि दूसरे ख़ुदा से मैं अल्लाह के हुक्म की तरफ़ निस्बत करता हूँ) यानी क़ज़ा से मैं अल्लाह के हुक्म की तरफ़ निस्बत करता हूँ) यानी कज़ा दो हैं मुबर्रम व मुअल्लक़ जैसे क़ुरआन अज़ीम में फ़रमाया اِلَّا اَنْ يَاتِىَ اللّٰهُ ای امر اللّٰه (**तर्जमाः** मगर यह कि आए अल्लाह तआला यानी अल्लाह का अम्र (काम)... ज़ैद कहे मैं रसूलुल्लाह हूँ इसमें यह तावील गढ़ ली जाए कि लुग़वी माना मुराद हैं यानी ख़ुदा ही ने उसकी रूह बदन में भेजी। ऐसी तावीलें सुनने के लाइक़ नहीं। ऐसी तावीलों का कोई एतबार नहीं।

"शिफ़ा शरीफ़" में हैः

"सरीह लफ़्ज़ (साफ़ लफ़्ज़) में तावील का दावा नहीं सुना जाता... शरहे शिफ़ा क़ारी में हैः "ऐसा दावा शरीअत में मरदूद है।"... नसीमुल रियाज़ में हैः "ऐसी तावील की तरफ़ इलतेफ़ात (तवज्जह) न होगा और वह हिज़यान (बेहूदा बकना) समझी जाएगी। फ़तावा खुलासा व फ़ुसूले अहमदिया व जामेउल फ़ुसूलीन व फ़तावा हिन्दिया वग़ैरह में हैः "अगर कोई शख़्स अपने आप को अल्लाह का रसूल या पैग़म्बर कहे और माअना यह ले कि मैं पैग़ाम ले जाता हूँ, क़ासिद हूँ तो वह काफ़िर हो जाएगा। यह तावील न सुनी जाएगी।" फ़हफ़ज़ यानी इसे याद कर लीजिए।

मकरे चहारुम

मकरे चहारुम इन्कार यानी जिसने उन बदगोयों की किताबें न देखी उसके सामने साफ़ मुकर जाते हैं कि उन लोगों ने यह कलिमात कहीं न कहे... और जो उन की छपी हुई किताबें तहरीरें दिखा देता है तो अगर इल्म वाला हुआ तो नाक चढ़ाकर, मुहँ बनाकर चल दिया आँखों में आँखें डालकर बेहयाई से साफ़ कह दिया कि आप माक़ूल भी कर दीजिए तो मैं वही कहे जाऊँगा और बेचारा बे-इल्म हुआ तो उससे कह दिया कि इन इबारतों का यह मतलब नहीं और आख़िर है क्या तो यह तो कहने वाले के पेट में छुपा है। उसके जवाब को वही आयते करीमा काफ़ी है कि:

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَ لَقَدْ
قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ

तर्जमा: "खुदा की क़सम खाते हैं कि उन्होंने न कहा। हालाँकि बेशक ज़रूर वह यह कुफ़्र के बोल बोले और मुसलमान हुए, पीछे काफ़िर हो गए।" (पारा 10, सूरह तौबा, रूकूअ़ 16, आयत 74)

होती आई है कि इन्कार क्या करते हैं

इन लोगों की वह किताबें जिन में यह कलिमात कुफ़्रिया हैं मुद्दतों से इन्होंने खुद अपनी ज़िन्दगी में छाप कर शाय कीं ओर उनमें बाज़ दो-दो बार छपीं (और अब तो न जाने कितनी बार छप चुकी हैं), मुद्दतहा मुद्दत से उलमाए-अहले सुन्नत ने उनके रद्द छापे, मुवाख़ज़े किए, वह फ़तवे जिस मे अल्लाह तआला को साफ़ साफ़ काज़िब (झूठा) माना है और जिस की असल मोहरी दस्तख़ती इस वक़्त तक महफ़ूज़ है और उसके फ़ोटो भी लिए गए जिसमें से एक फ़ोटो उलमाए हरमैन शरीफ़ैन को दिखाने के लिए साथ में कुतुबे दुशनामियाँ (वह किताबें जिनमें तौहीन और गालियाँ भरी हैं) गया था सरकारे मदीना तय्यबा में भी मौजूद हैं। यह तकज़ीबे खुदा का नापाक फ़तवा अठारह बरस हुए (रबी उल आख़िर 1308 हिजरी) में रिसाला सियानतुन नास के साथ मतबा हदीक़तुल उलूम

मेरठ में रद्द के साथ छापा जा चुका फिर 1315 हिजरी में मतबा गुलज़ार हसनी बम्बई में इसका और मुफ़स्सल रद्द छपा फिर 1320 हिजरी में पटना अज़ीमाबाद मतबा तोहफ़ए-हनफ़िया में उसका और क़ाहिर रद्द छपा और फ़तवा देने वाला जमादिल आख़िरह 1323 हिजरी में मरा, और मरते दम तक साकित (ख़ामोश) रहा, न यह कहा कि वह फ़तवा मेरा नहीं हालाँकि ख़ुद छापी हुई किताबों से फ़तवे का इन्कार कर देना सहल था, न यही बताया कि मतलब वह नहीं जो उलमाए अहले सुन्नत बता रहे हैं, बल्कि मेरा मतलब यह है, न कुफ़्रे सरीह की निसबत कोई सहल बात थी जिस पर इल्तेफ़ात (तवज्जुह) न किया। ज़ैद से उसका एक मोहरी फ़तवा उसकी ज़िन्दगी व तन्दुरुस्ती में एलानिया नक़्ल किया जाए और वह क़तअन यक़ीनन सरीह कुफ़्र हो और सालहा साल उसकी इशाअत होती रहे, लोग उसका रद्द छापा करें, ज़ैद को इसकी बिना पर काफ़िर बताया करें, ज़ैद उसके बाद पन्द्रह साल जिए और यह सब कुछ देखे सुने और उस फ़तवे की अपनी तरफ़ निसबत से इन्कार असलन शाए न करे बल्कि दम साधे रहे यहाँ तक कि दम निकल जाए। क्या कोई आक़िल गुमान कर सकता है कि इस निसबत से उसे इन्कार था या उसका मतलब कुछ और था और उनमें कि जो ज़िन्दा था आज के दम तक साकित (ख़ामोश) है, न अपनी छापी किताबों से मुन्किर हो सकते हैं न अपनी दुश्नामों (बुरा कहना या गाली देना) का और मतलब गढ़ सकते हैं।

1320 हिजरी में उनके तमाम कुफ़्रियात का मजमूआ यकजाई रद्द शाय हुआ। फिर इन दुशनामों के मुतअल्लिक़ कुछ अमाएदे मुसलिमीन (मुस्लिम रहनुमा) इल्मी सुवालात उनमें के सरग़ना के पास ले गए। सवालों पर जो हालात सरासीमगी (हैरानी, परेशानी) पैदा हुए देखने वालों से उसकी कैफ़ियत पूछिए मगर उस वक़्त भी न उन तहरीरात से इन्कार हो सका न कोई मतलब गढ़ने पर क़ुदरत पाई बल्कि कहा तो यह कहा कि मैं मुबाहसा के वास्ते नहीं आया न मुबाहसा चाहता हूँ मैं इस फ़न में जाहिल हूँ और मेरे असातेज़ा (उस्ताद की जमा) भी जाहिल हैं माक़ूल भी

कर दीजिए तो वही कहे जाऊँगा।

वह सुवालात और उस वाक़िए का मुफ़स्सल ज़िक्र भी जभी 15 जमादिल आख़िरह 1323 हिजरी को छाप कर सरग़ना व अतबा सब के हाथ में दे दिया गया उसे भी चौथा साल है सदाए बर नख़ासत (कोई जवाब नहीं)... इन तमाम हालात के बाद वह इन्कारी मकर ऐसा ही है कि सिरे से यही कह दीजिए कि अल्लाह व रसूल को यह दुश्नाम दहिन्दा (गाली देने वाले लोग) लोग दुनिया में पैदा ही न हुए यह सब बनावट है इसका इलाज क्या हो सकता है। अल्लाह तआला हया दे।

मकरे पन्जुम

इनका पांचवा मकर यह है कि जब हज़रात को कुछ बन नहीं पड़ती किसी तरफ़ भागने की जगह नज़र नहीं आती और यह तौफ़ीक़ अल्लाह वाहिदे क़हहार नहीं देता कि तौबा करें। अल्लाह तआला और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की शान मे जो गुस्ताख़ियाँ बकीं जो गालियाँ दीं उनसे बाज़ आयें जैसे गालियाँ छापी उनसे रूजू का भी ऐलान दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं:

''जब तू बदी करे तो फ़ौरन तौबा कर ख़ुफ़िया की ख़ुफ़िया और ऐलानिया की एलानिया (तबरानी फ़िल कबीर, बैहक़ी) और फ़हवाई

يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا.

राहे ख़ुदा से रोकना ज़रूर नाचार) अवाम मुसलिमीन को भड़काने और दिन दहाड़े उन पर अन्धेरी डालने को यह चाल चलते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत के फ़तावाए तकफ़ीर का क्या ऐतबार? यह लोग ज़रा ज़रा सी बात पर काफ़िर कह देते हैं। उनकी मशीन में हमेशा कुफ़्र ही के फ़तवे छपा करते हैं। इसमाईल देहलवी को काफ़िर कह दिया, मौलवी इसहाक़ साहब को कह दिया, मौलवी अब्दुल हई साहब को कह दिया फिर जिनकी हया और बढ़ी हुई है वह इतना और मिलाते हैं कि मआज़

अल्लाह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब को कह दिया, मौलाना शाह वली उल्लाह साहब को कह दिया, हाजी इम्दादुल्लाह साहब को कह दिया, मौलाना शाह फ़ज़्लुर्रहमान साहब को कह दिया फिर जो पूरे ही हदे हया से ऊँचे गुज़र गए वह यहाँ तक बढ़ते हैं कि अयाज़न बिल्लाह। (अल्लाह की पनाह) अयाज़न बिल्लाह! हज़रत शैख़ मुजद्दिद अलफ़िसानी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह को कह दिया गर्ज़ जिसे जिस का मोअतक़िद पाया उसके सामने उसी का नाम ले दिया कि उन्होंने उसे काफ़िर कह दिया यहाँ तक कि उनमें के बाज़ बुज़ुर्गवारों ने मौलाना मौलवी शाह मुहम्मद हुसैन साहब इलाहाबादी मरहूम मग़फ़ूर से जाकर जड़ दी कि मआज़ अल्लाह। मआज़ अल्लाह। हज़रत सय्यदुना शैख़ अकबर मोहीउद्दीन इब्ने अरबी कुद्दिसा सिर्रूहू को काफ़िर कह दिया। मौलाना को अल्लाह तआला जन्नते आलिया अता फ़रमाए। इन्होंने आयते करीमा اِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا (**तर्जमाः** अगर फ़ासिक़ तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो उसकी तहक़ीक़ कर लो) पर अमल फ़रमाया। ख़त लिखकर दरयाफ़्त किया जिस पर यहाँ से रिसाला "इन्जा उल बारी अन वसवासिल मुफ़तरी" लिख कर भेजा गया और मौलाना ने मुफ़तरी (बोहतान लगाने वाले) कज़्ज़ाब (झूटा) पर लाहौल शरीफ़ का तोहफ़ा भेजा, ग़र्ज़ हमेशा ऐसे ही इफ़तिरा उठाया करते हैं। इसका जवाब वह है जोः

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

तर्जमाः "झूटे इफ़तिरा वही बाँधते हैं जो ईमान नहीं रखते।"

(सूरह नहल, पारा 14, रूकूअ 19)

और फ़रमाता है

فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝

तर्जमाः "हम अल्लाह की लानत डालें झूटों पर।"

(सूरह आले इमरान, पारा 3, रूकूअ 14)

मुसलमानों। इस मकरे सख़ीफ़ (बेहूदा मकर) व मकरे ज़ईफ़ का फ़ैसला कुछ दुश्वार नहीं, इन साहबों से सबूत माँगो कि कह दिया कह दिया फ़रमाते हो कुछ सबूत रखते हो कहाँ कह दिया किस किताब, किस रिसाले, किस फ़तवे, किस पर्चे में कह दिया? हाँ हाँ सबूत रखते हो तो किस दिन के लिए उठा रखा है। दिखाओ और नहीं दिखा सकते और अल्लाह जानता है कि नहीं दिखा सकते तो देखो क़ुरआने अज़ीम तुम्हारे कज़्ज़ाब (झूटा) होने की गवाही देता है। मुसलमानो!

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है

فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

तर्जमाः "जब सबूत न ला सके तो अल्लाह के नज़दीक वही झूटे हैं।" (पारा 18, सूरह नूर, रूकू 8)

मुसलमानो! आज़माए को क्या आज़माना बारहा हो चुका कि इन हज़रात ने बड़े ज़ोर शोर से यह दावे किये और जब किसी मुसलमान ने सबूत माँगा फ़ौरन पीठ फेर गए और फिर मुँह न दिखा सके मगर हया इतनी है कि वह रट जो मुँह को लग गई है नहीं छोड़ते और छोड़ें क्यूँकर कि मरता क्या न करता, जब ख़ुदा व रसूल को गालियाँ देने वालों के कुफ़्र पर पर्दा डालने का आख़री हीला यही रह गया है कि किसी तरह अवाम भाईयों के ज़ेहन में जम जाए कि उलमाए अहले सुन्नत यूँ ही बिला वजह लोगों को काफ़िर कह दिया करते हैं। ऐसा ही उन दुशनामियों को भी कह दिया होगा। मुसलमानो! इन मुफ़तरियों (झूट बकने वाले) के पास सबूत कहाँ से आया कि मनगढ़त का सबूत ही क्या

وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ.

तर्जमाः "और बेशक अल्लाह दग़ाबाज़ों का मकर नहीं चलने देता।"

उनका झूटा दावा तो इसी क़द्र से बातिल हो गया।

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

तर्जमाः "लाओ अपनी बुरहान (दलील) अगर सच्चे हो।"

(पारा 20, सूरह नमल)

इससे ज़्यादा की हमें हाजत न थी मगर बफ़ज़लिही तआ़ला हम उनके झूटे होने का वह रौशन सबूत दें कि हर मुसलमान पर उनका झूटा होना आफ़ताब से ज़्यादा ज़ाहिर हो जाए। सबूत भी बिहम्दिही तआ़ला तहरीरी वह भी छपा हुआ वह भी न आज का बल्कि सालहा साल का जिन-जिन की तकफ़ीर (कुफ़्र लगाना) की तोहमत उलमाए अहले सुन्नत पर रखी उनमें सब से ज़्यादा गुन्जाइश अगर उन साहबों को मिलती तो इसमाईल देहलवी में कि बेशक उलमाए-अहले सुन्नत ने उसके कलाम में ब-कसरत कलिमाते कुफ़्रिया साबित किए और शाए फ़रमाए। इन तमाम के बावजूद

अव्वलन **सुबहानस्सुब्बूह अन ऐबे किज़्ब मकबूह**, देखिए कि बारे अव्वल 1301 में लखनऊ मतबा अनवाने मुहम्मदी में छपा जिसमें ब-दलाइले क़ाहेरा देहलवी मज़कूर और उसके अतबा पर पछत्तर वजह से लज़ूमे कुफ़्र साबित करके सफ़ा 90 पर हुक्मे आख़िर यही लिखा कि उलमाए मोहतातीन (एहतियात करने वाले आलिम) इन्हें काफ़िर न कहें यही सवाब है। यही जवाब है और इस पर फ़तवा दिया जाता है और इसी पर फ़तवा है और यही हमारा मज़हब और इसी पर ऐतमाद और इसी में सलामत और इसी में इस्तेक़ामत यानी क़ाएम रहना।

सानियन **अन कौकबतुश शहाबियाह फ़ी कुफ़्रियाते अबिल वहाबिया** देखिये जो ख़ास इसमाईल देहलवी और उसके मुत्तबेईन (पैरवी करने वाले) ही के रद्द में तसनीफ़ हुआ और बारे अव्वल शाबान 1316 हिजरी में अज़ीम मतबा तोहफ़ा हफ़ियह मं छपा जिसमें नसूस जलीला क़ुरआने मजीद व अहादीसे सहीहा व तसरीहाते आइम्मा से ब-हवाला सफ़हात कुतुबे मोतमिदा उस पर सत्तर वजह बल्कि ज़्यादा से कुफ़्र का लाज़िम

होना साबित किया और बिल आख़िर यही लिखा (सफ़ा 62) हमारे नज़दीक मक़ामे एहतियात में इकफ़ार (यानी काफ़िर कहने से) कफ़्फ़े लिसान (यानी ज़ुबान रोकना) माख़ूज़ व मुख़तार व मुनासिब। वल्लाह सुबहानहु तआला आलम।

सालेसन सल्लुस्सुयूफ़िल हिन्दीया अला कुफ़्रियाते बाबन नजदियह देखिए कि सफ़र 1316 को अज़ीमाबाद में छपा। इसमें भी इसमाईल देहलवी और उसके मुत्तबीईन पर बवजूहे काहेरह कुफ़्र के लाज़िम होने का सबूत देकर सफ़ा 21, 22 पर लिखा यह हुक्म फ़िक़ही मुतअल्लिक़ ब कलिमाते सफ़ही था मगर अल्लाह तआला की बेशुमार रहमतें बेहद बरकतें हमारे उलमाए किराम पर कि यह कुछ देखते उस ताएफ़ा (गिरोह) के पीर से बात बात पर सच्चे मुसलमानों की निसबत हुक्मे कुफ़्र व शिर्क सुनते हैं। इसके बावजूद न शिद्दते ग़ज़ब व दामने ऐहतियात उनके हाथ से छुड़ाती है न क़ुव्वते इन्तेक़ाम (बदले की ताक़त) हरकत में आती वह अब तक यही तहक़ीक़ फ़रमा रहे हैं कि लुज़ूम (लाज़िम होना) व इलतेज़ाम (लाज़िम कर लेना) में फ़र्क़ है। अक़वाल (क़ौल यानी जो कहा की जमा) का कलिमाए कुफ़्र होना और बात और क़ायल (कहने वाला) को काफ़िर मान लेना और बात। हम एहतियात बरतेंगे, सुकूत करेंगे, जब तक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ एहतेमाल मिलेगा, हुक्मे कुफ़्र जारी करते डरेंगे। मुख़तसरन।

राबेअन इज़ालतुल आर बे-हजरिल कराइम अन किलाबिन नार देखिए कि बारे अव्वल 1317 हिजरी को अज़ीमाबाद में छपा, इस में सफ़ा 10 पर लिखा हम सब इस बाब में क़ौले मुतकल्लिमीन इख़्तेयार करते हैं उनमें जो किसी ज़रूरी दीन का मुन्किर नहीं न ज़रूरी दीन के किसी मुन्किर को मुसलमान कहता है उसे काफ़िर नहीं कहते।

ख़ामसन इसमाईल देहलवी को भी जाने दीजिए यही दुश्नामी लोग जिनके कुफ़्र पर अब फ़तवा दिया है जब तक उनकी सरीह दुश्नामियों पर इत्तेला न थी मसअला इमकाने किज़्ब के बाइस उन पर अठहत्तर वजह से लज़ूमे कुफ़्र साबित कर के सुब्हानस सुब्बूह में बिल आख़िर सफ़ा 80

तबाए अव्वल पर यही लिखा कि हाशा लिल्लाह। हज़ार-हज़ार बार हाशा लिल्लाह। मैं हरगिज़ उनकी तकफ़ीर पसंद नहीं करता। उन मुक़तदियों में यानी मुद्दियाने जदीद को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ अगरचे उनकी बिदअत व दलालत में शक नहीं और इमामुत्तायफ़ा (इसमाईल देहलवी) के कुफ़्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफ़ीर से मना फ़रमाया है जब तक वजहे कुफ़्र आफ़ताब से ज़्यादा रौशन न हो जाए और हुक्मे इस्लाम के लिए असलन कोई जाईफ़ सा ज़ईफ़ मोहमल भी बाक़ी न रहे।

فان الاسلام یعلو ولا یُعلٰی علیه

तर्जमाः "बेशक इस्लाम बुलन्द होता है वह बुलन्द नहीं किया जाता।"

मुसलमानो! मुसलमानो! तुम्हें अपना दीन व ईमान और रोज़े क़ियामत व हुज़ूर बारगाहे रहमान याद दिलाकर इस्तिफ़सार है कि जिस बन्द-ए-ख़ुदा की दरबार-ए-तकफ़ीर यह शदीद एहतियात ये जलील तसरीहात उस पर तकफ़ीर तकफ़ीर का इफ़तरा कितनी बे हयाई, कैसा ज़ुल्म कितनी घिनौनी नापाक बात (मतलब यह कि आला हज़रत फ़रमाते हैं कि मैं इतनी एहतियात करता हूँ फिर भी मेरे ऊपर यह घिनौना इल्ज़ाम कि मैं हर एक को काफ़िर कह देता हूँ) मगर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं और जो कुछ फ़रमाते हैं हक़ फ़रमाते हैं, "जब तुझे हया न रहे तू जो चाहे करे।" बे हया बाश व आँचे ख़्वाही कुन (बेहया हो जा और जो चाहे कर)।

मुसलमानो! यह रौशन ज़ाहिर, वाज़ेह, काहिर इबारात तुम्हारे पेशे नज़र हैं जिन्हें छपे हुए दस दस और बाज़ को सतरह और तसनीफ़ को उन्नीस साल हुए (और उन दुश्नामियों की तकफ़ीर तो अब छः साल यानी 1320 हिजरी से हुई है जब से अल मोतमदुल मुसतनद छपी) उन इबारात को बग़ौर नज़र फ़रमाओ और अल्लाह व रसूल के ख़ौफ़ को सामने रखकर इन्साफ़ करो। यह इबारतें फ़क़त उन मुफ़तरियों (झूठ बकने वाले) का

इफ़तरा ही रद्द नहीं करतीं बल्कि सराहतन साफ़ साफ़ शहादत दे रही हैं कि ऐसी अज़ीम एहतियात वाले ने हरगिज़ उन दुश्नामियों को काफ़िर न कहा जब तक यक़ीनी, क़तई, वाज़ेह, रौशन, जली तौर से उन का सरीह कुफ़्र आफ़ताब से ज़्यादा ज़ाहिर न हो गया उसमें असलन असलन हरगिज़ हरगिज़ कोई गुन्जाइश, कोई तावील न निकल सकी कि आख़िर यह बन्दए-ख़ुदा वही तो है जो उनके अकाबिर पर सत्तर सत्तर वजह से कुफ़्र के लाज़िम होने का सबूत देकर यही कहता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अहले ला-इलाहा इल्लल्लाह को तकफ़ीर से मना फ़रमाया है जब तक वजहे कुफ़्र आफ़ताब से ज़्यादा रौशन न हो जाए और हुक्मे इस्लाम के लिए असलन कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ मुहमल (कोई पहलू मुराद लेने की गुन्जाइश) भी बाक़ी न रहे। यह बन्दए-ख़ुदा वही तो है जो ख़ुद उन दुश्नामियों की निसबत (जब तक उन दुश्नामियों पर इत्तेला यक़ीनी न हुई थी) अठहत्तर वजह से ब-हुक्मे फ़ुक़हा-ए-किराम लज़ूमे कुफ़्र का सबूत देकर यही लिख चुका था कि हज़ार हज़ार बार हाशा लिल्लाह मैं हरगिज़ उनकी तकफ़ीर पसंद नहीं करता, जब क्या उनसे कोई मिलाप था अब रंजिश हो गई? जब उनसे जायदाद की कोई शिरकत न थी अब पैदा हुई?

हाशा लिल्लाह! मुसलमानों का अलाक़ा-ए-मुहब्बत व अदावत सिर्फ़ मुहब्बत व अदावते ख़ुदा व रसूल है जब तक उन दुश्नाम दहों से दुश्नाम सादिर न हुई थी या अल्लाह व रसूल की जनाब में उनकी दुश्नाम न देखी सुनी थी, उस वक़्त तक कलिमा-गोई का पास लाज़िम था। ग़ायत एहतियात से काम लिया हत्ता कि फ़ुक़हाए किराम के हुक्म से तरह तरह उन पर कुफ़्र लाज़िम था मगर एहतियातन उनका साथ न दिया और मुतकल्लिमीने ईज़ाम का मसलक इख़्तेयार किया जब साफ़ सरीह इन्कार ज़रूरियाते दीन व दुश्नाम दही रब्बुल आलमीन व सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम आँख से देखी तो अब बे तकफ़ीर चारा न था कि अकाबिर आइम्मा दीन की तसरीहें सुन चुके। "जो ऐसे के मुअज़्ज़ब (जिसे अ़ज़ाब दिया जाए) व काफ़िर होने में शक करे ख़ुद

काफ़िर है।'' अपना और अपने दीनी भाईयों, अवामे अहले इस्लाम का ईमान बचाना ज़रूरी था। लाजर्म (यक़ीनी तौर पर) हुक्मे कुफ़्र दिया और शाए किया। وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ

तर्जमाः ''ज़ालिमों का वदला यही है।';

तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

तर्जमाः ''कह दो कि आया हक़ और मिटा वातिल। वातिल को ज़रूर मिटना ही था।'' (पारा 15, सूरह बनी इस्राईल, आयत 81)

और फ़रमाता है

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

तर्जमाः ''दीन में कुछ जब्र नहीं हक़ राह साफ़ जुदा हो गई है गुमराही से।'' (पारा 3, सूरह बक़रः, रूकूअ 2)

यहाँ चार मरहले थेः

1. जो कुछ उन दुश्नामियों (बुरा कहने वारले, गाली देने वाले लोग) ने लिखा छापा ज़रूर वह अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की तौहीन व दुश्नाम (गाली) था।
2. अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला काफ़िर है।
3. जो उन्हें काफ़िर न कहे जो उनका पास लिहाज़ रखे जो उनकी उस्तादी या रिश्ते या दोस्ती का ख़्याल करे वह भी उन्हीं में से उन्हीं की तरह काफ़िर है। क़ियामत में उनके साथ एक रस्सी में बांधा जाएगा।
4. जो उज़्र व मकर ये जाहिल लोग और गुमराह लोग यहाँ बयान करते हैं सब वातिल व नारवा साबित हुए हैं। यानी अपनी झूठी

बात बनाने को यह लोग जो बहाने बनाते हैं सब बेकार है।

यह चारों बिहम्दिल्लाहि तआ़ला व बरवजहे आला वाज़ेह व रौशन हो गए जिनके सबूत क़ुरआन अज़ीम ही की आयते करीमा से दे दिए गए... अब एक पहलू पर जन्नत व सआदते सरमदी दूसरी तरफ़ शक़ावत व जहन्नमे अबदी है जिसे जो पसन्द आए इख़्तेयार करे मगर इतना समझ लो कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का दामन छोड़कर ज़ैद व अम्र का साथ देने वाला कभी फ़लाह न पाएगा, बाक़ी हिदायत रब्बुल इज़्ज़त के इख़्तेयार है। बात बिहम्दिल्लाह तआ़ला हर ज़ी इल्म मुसलमान के नज़दीक साफ़ ज़ाहिर थी मगर हमारे अ़वाम भाईयों को मोहरें देखने की ज़रूरत होती है। मोहरें उलमाए-किराम हरमैन तय्यबैन से ज़ाएद कहाँ की होंगी जहाँ से दीन का आग़ाज़ हुआ और ब-हुक्मे अहादीस सहीहा कभी वहाँ शैतान का दौरा न होगा, लिहाज़ा अपने आम भाईयों की ज़ियादते इत्मिनान को मक्का मुअज़्ज़मा व मदीना तय्येबा के उलमा-ए-किराम व मुफ़तियाने इज़्ज़ाम के हुज़ूर फ़तवा पेश हुआ। जिस ख़ूबी व ख़ुश उसलूबी व जोशे दीनी से उन अमाएदे इस्लाम (इस्लाम के रहनुमा) ने तसदीक़ें फ़रमाईं बिहम्दिल्लाह तआ़ला किताब **"मुसतताब हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफ़्र वल मैन"** में गिरामी भाईयों के पेशे नज़र और हर सफ़हे के मुक़ाबिल सलीस उर्दू में उसका तर्जमा मुबय्यन अहकाम व तसदीक़ाते आलाम जलवहगर इलाही। (अरब के आलिमों का फ़तवा जो देवबन्दियों पर लगा वह "हुसामुल हरमैन" नाम की किताब में जो कि अरबी व उर्दू में है कब का छप चुका है) इस्लामी भाईयों को क़बूले हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और ज़िद व नफ़सानियत या तेरे और तेरे हबीब के मुक़ाबिलन ज़ैद व अम्र की हिमायत से बचा। सदक़ा मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की वजाहत का। आमीन आमीन आमीन! बा अदब बा नसीब बे अदब बे नसीब।

एक ऐतराज़ का जवाब

जब इस रिसाला "तम्हीदे ईमान" में किसी ने बार बार यह पढ़ा कि "तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है" तो उसने आला हज़रत के किसी मोतक़िद से उसका ज़िक्र किया कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान "तम्हीदे ईमान" में हर जगह लिखते हैं कि देखो "तुम्हारा रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है" तो क्या मौलाना का ख़ुदा जल्ला जलालहू नहीं है? उन्होंने फ़ौरन ही यह सुवाल आला हज़रत की ख़िदमत में इरसाल कर दिया। उसका जवाब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने दे दिया जो फ़तावा अफ़्रीक़ा मुसन्नफ़ा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा में शामिल है। इस फ़तवे में दस क़ुरआनी आयात और दस अहादीसे करीमा से अपनी बात को साबित किया है।

क़ुरआने पाक में सय्येदुना नूह अलैहिस्सलाम अपने रब से अपनी क़ौम की शिकायत में अर्ज़ करते हैं कि मैंने उनसे कहा तुम्हारा रब बहुत बख़्शने वाला है। तुम उससे माफ़ी चाहो, क्या मआज़अल्लाह वह नूह अलैहिस्सलाम का रब नहीं।

सय्येदुना मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को बताया कि अल्लाह वह है जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का, क्या मआज़अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रब नहीं?

इसी तरह दस क़ुरआनी आयात के बाद अहादीसे पाक से सबूत पेश किये हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुनाफ़िक़ को सय्यद (सरदार) मत कहो कि अगर वह तुम्हारा सरदार हो तो बेशक तुम्हारे रब का तुम पर ग़ज़ब हुआ।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "बेशक तुम्हारा रब अपने बन्दे से बहुत ख़ुश होता है जब बन्दा कहता है इलाही मेरे गुनाह बख़्श दे।

यहाँ सिर्फ़ दो क़ुरआनी आयात और दो अहादीस पेश की गयीं जिस को पूरा फ़तवा देखना हो वह फ़तावा अफ़्रीक़ा में देखे।